उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार–249404

Website: psc.uk.gov.in

UTTARAKHAND PUBLIC SERVICE COMMISSION

विज्ञापन संख्या– A-1/ E-4/FOREST (DR)/ 2024-25

सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025

Assistant Conservator of Forest, Logging Officer and Forest Range Officer Combined Examination-2025

विज्ञापन प्रकाशन की तिथि	–	30 जनवरी, 2025
ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि	–	19 फरवरी, 2025 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
आवेदन शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI Payment द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	–	19 फरवरी, 2025 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)
ऑनलाईन आवेदन में संशोधन/परिवर्तन करने की तिथि	–	25 फरवरी, 2025 से 06 मार्च, 2025 (रात्रि 11:59:59 बजे तक)

अति महत्वपूर्ण निर्देश :–	
1.	उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 168/XXXVI(3)/2023/10(01)/2023 दिनांक 27 अप्रैल, 2023 द्वारा **उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023** प्रख्यापित किया गया है। किसी भी दुराचरण के लिए अभ्यर्थी के खिलाफ उत्तराखण्ड प्रतियोगी परीक्षाओं (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम–2023 समय–समय पर यथा संशोधित के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।
2.	अभ्यर्थी ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में रिट याचिका (स्पेशल अपील) संख्याः 79/2010 राधा मित्तल बनाम उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग में मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.06.2010 तथा विशेष अनुज्ञा याचिका (सिविल) नं0 (एस) 19532/2010 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के क्रम में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा। आरक्षण विषयक प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा अवश्य धारित करना आवश्यक है।
3.	अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि **ऑनलाइन आवेदन–पत्र भरने की अन्तिम तिथि अर्थात् दिनांक 19 फरवरी, 2025** तक विज्ञापन में वर्णित समस्त अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं एवं अन्य अर्हताएं अवश्य धारित करते हों। **सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022** के क्रम में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता धारित करने की तिथि का निर्धारण केवल अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) से किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि ऑनलाइन आवेदन पत्र के शैक्षिक अर्हता (Qualification Details) के विवरण में, Result Declaration Date के कॉलम में, संबंधित शैक्षिक अर्हता के अंक–पत्र निर्गत होने की तिथि (Marksheet Issuing Date) का अंकन हो।

	अभिलेख सत्यापन के समय विज्ञापन के अनुसार वांछित अर्हताओं की पुष्टि न होने पर **अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।**
4.	अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन करने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भांति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाईन आवेदन पत्र को सही–सही भरें। अपूर्ण आवेदन पत्र किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे तथा अभ्यर्थी का अभ्यर्थन स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा। **अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है कि ऑनलाईन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पूर्व ही अपना ऑनलाईन आवेदन भर लें।**
5.	फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/आयु/आरक्षण आदि सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने वाले अभ्यर्थियों को आयोग की इस परीक्षा से व समस्त आगामी परीक्षाओं से अधिकतम 05 वर्षों के लिए प्रतिवारित (DEBAR) कर दिया जायेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा के समय प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना/लिखा पाया जाना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।
6.	**प्रश्नगत् परीक्षा हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन–पत्र एवं Net Banking/Debit Card/ Credit Card/UPI के माध्यम से ही आवेदन शुल्क स्वीकार्य किया जायेगा।** किसी अन्य प्रकार से किया गया आवेदन/परीक्षा शुल्क स्वीकार नहीं किया जायेगा। यदि कोई अभ्यर्थी शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।
7.	ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किये जाने की निर्धारित अंतिम तिथि/समय के पूर्व तक आवेदन पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन अन्तिम रूप से **Submit** करने के पश्चात् रद्द **(Cancel)** कर प्रश्नगत् पद हेतु पुनः आवेदन कर सकता है, किन्तु इस दशा में जमा किया गया शुल्क वापस नहीं होगा अर्थात् अभ्यर्थी को संशोधित/नवीन ऑनलाइन आवेदन पत्र के सापेक्ष पुनः आवेदन शुल्क जमा करना होगा।
8.	(i) ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थियों द्वारा की गयी प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन **(Edit/Correction)** किये जाने हेतु केवल एक बार पुनः लिंक खोला जायेगा। अभ्यर्थीगण आवेदन पत्र की समस्त प्रविष्टियों को अत्यंत सावधानीपूर्वक भरें। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों के अंतर्गत अभ्यर्थियों के नाम/जन्म तिथि/श्रेणी/उपश्रेणी/लिंग आदि में संशोधन हेतु अंतिम तिथि के उपरांत मात्र एक बार अवसर प्रदान किया जायेगा। विज्ञापन के बिन्दु संख्या–13 (संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया) में उल्लिखित प्राविधानानुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थियों द्वारा संशोधन/परिवर्तन **(Edit/ Correction)** किया जायेगा। अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि उक्त संशोधन/परिवर्तन का अवसर प्रदान करने के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित किसी भी प्रविष्टि/दावे को संशोधित/परिवर्तित करने के अनुरोध पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा। (ii) ऑनलाइन आवेदन में किसी महिला अभ्यर्थी द्वारा पुरूष अथवा किसी पुरूष अभ्यर्थी द्वारा महिला का दावा किये जाने पर उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
9.	1. आवेदन के प्रारम्भिक चरण में ऑनलाईन आवेदन पत्र की प्रिंटआउट प्रति अथवा किसी भी प्रकार के प्रमाण–पत्र को आयोग कार्यालय में जमा/प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। अभ्यर्थी

	आवेदन पत्र का प्रिंट आउट, भविष्य में आयोग से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक प्रयोग / साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें। 2. प्रश्नगत पद हेतु प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति), मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकृति), शारीरिक मानक परीक्षा एवं साक्षात्कार का आयोजन किया जाएगा। 3. आयोग द्वारा मांगे जाने पर अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन–पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र के प्रिंटआउट की स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमानी अर्हता, आरक्षण आदि से सम्बधित समस्त प्रमाण–पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति आयोग कार्यालय में प्रारम्भिक परीक्षा के परीक्षा परिणाम के उपरान्त निर्धारित तिथि को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त माना जायेगा। 4. विज्ञापन में उल्लिखित शर्तानुसार यदि ऑनलाइन आवेदन–पत्र में अभ्यर्थी के दावे के अनुसार प्रमाण–पत्रों में भिन्नता अथवा कमी पायी जाती है, तो अभ्यर्थी को प्रश्नगत पद हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जाएगा। अतः अभ्यर्थी सभी सूचनाएं सावधानीपूर्वक सही–सही भरे। 5. साक्षात्कार हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावे से सम्बन्धित अभिलेखों यथा–शैक्षणिक, आरक्षण आदि का आयोग द्वारा मिलान / सत्यापन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली–2022 (यथा संशोधित) के भाग–नौ में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार किया जायेगा। **ऑनलाईन आवेदन पत्र में किये गये दावों की पुष्टि हेतु नियत तिथि पर वांछित अभिलेख उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को प्रश्नगत परीक्षा हेतु अनर्ह घोषित कर दिया जायेगा।** उपरोक्त के सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को 02 हिन्दी दैनिक एवं 01 अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में सूक्ष्म विज्ञप्ति एवं विस्तृत विवरण आयोग की वेबसाइट के माध्यम से पृथक से सूचित किया जायेगा। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट का नियमित रूप से अवलोकन करते रहें। 6. अभ्यर्थियों को परीक्षा के विभिन्न चरणों की जानकारी दैनिक समाचार पत्रों में सूक्ष्म विज्ञप्ति एवं आयोग की वेबसाइट में विस्तृत विवरण के माध्यम से पृथक से प्रदान की जायेगी साथ ही अभ्यर्थियों को महत्वपूर्ण सूचनायें ई–मेल या एस0एम0एस0 के माध्यम से प्रेषित की जायेगी। इसलिए अभ्यर्थी स्वयं का मोबाईल नम्बर व ई–मेल आई0डी0 ही आवेदन पत्र में भरें।
10.	अभ्यर्थी परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम के लिए परिशिष्ट–01, आरक्षण सम्बन्धी दावों के लिए निर्धारित प्रारूप हेतु परिशिष्ट–02, न्यूनतम अर्हक अंक हेतु परिशिष्ट–03, परीक्षा केन्द्र / जनपद के चयन हेतु परिशिष्ट–04, 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका सिद्धान्त हेतु परिशिष्ट–05 तथा 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश परिशिष्ट–06, ऊँचाई की नापतौल में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण–पत्र हेतु परिशिष्ट–7 एवं अभिलेखों से संबंधित चैकलिस्ट हेतु परिशिष्ट–08 का अवलोकन करें।
11.	प्रश्नगत प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) एवं मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकृति) तथा अन्तिम चयन हेतु **न्यूनतम् अर्हक अंकों के प्रतिशत का उल्लेख विज्ञापन के परिशिष्ट–03** पर उपलब्ध है। अभ्यर्थियों को उनकी दावित आरक्षण श्रेणी / उप–श्रेणी के अनुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक प्राप्त करने पर पदों की संख्या के अनुसार मेरिट (MERIT) के क्रम में प्रवीणता–सूची हेतु विचारित किया जायेगा।
12.	**विज्ञापित पद पर चयन हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिए प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति), मुख्य परीक्षा (परम्परागत प्रकृति), शारीरिक मानक परीक्षा तथा साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।** विज्ञापन

	के **परिशिष्ट–04** में उल्लिखित नगरों के विभिन्न परीक्षा केन्द्रों पर प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) का आयोजन किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा में सफल एवं अर्ह अभ्यर्थियों के लिये मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर में स्थित परीक्षा केन्द्रों पर किया जायेगा। अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रारम्भिक, मुख्य एवं शारीरिक परीक्षा के नगरों की संख्या घटाई–बढ़ाई जा सकती है। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। उक्त परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को आंवटित परीक्षा केन्द्र व परीक्षा तिथि की सूचना यथासमय आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** तथा दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।
13.	प्रश्नगत विज्ञापन के सापेक्ष परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे, अपितु ऑनलाइन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगे। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेंगे। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति, राज्य के 02 हिन्दी दैनिक एवं 01 अंग्रेजी दैनिक प्रमुख समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** पर प्रसारित की जायेगी।
14.	**आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये ई0डब्ल्यू0एस0/ओ0बी0सी0 प्रमाण पत्र, आवेदन की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए।**
15.	उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–3 के शासनादेश संख्या : 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017 दिनांक 05 जून, 2023 के अनुसार सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी पद हेतु दिव्यांगता की उपश्रेणी **HH/PD, AAV/AV** हेतु चिन्हांकित हैं। उक्त दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी शासनादेश संख्या : 232(1)/XXX(2)/2018 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के प्रस्तर–6 के अनुक्रम में अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त चिन्हित उपश्रेणियों के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से सम्बन्धित अभ्यर्थी प्रश्नगत् पदों के सापेक्ष आवेदन नहीं कर सकते है।
16.	प्रश्नगत परीक्षा में अभ्यर्थियों का चयन प्रत्येक स्तर पर पूर्णतः औपबन्धिक है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि वह अभ्यर्थी निर्धारित अर्हताएँ धारित नहीं करता है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी का प्रश्नगत परीक्षा में अन्तिम रुप से चयन भी कर लिया जाता है तथा चयन संस्तुति शासन को प्रेषित कर दी जाती है तो वैसी दशा में भी अभ्यर्थी के अभिलेखों में त्रुटि/विसंगति पाये जाने पर उस अभ्यर्थी की चयन संस्तुति शासन से वापस लेते हुए अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
17.	प्रारम्भिक परीक्षा में सफल घोषित अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क पृथक से आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक जमा करना अनिवार्य होगा। मुख्य परीक्षा हेतु परीक्षा शुल्क जमा न करने पर अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।
18.	**मुख्य परीक्षा परिणाम में स्केलिंग पद्वति नहीं अपनाई जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा अपने मूल अंक के आधार पर ही परीक्षा/चयन परिणाम तैयार किया जाएगा।**
19.	**शासनादेश सं0–1/160592, दिनांकः 10.10.2023 के नियम 6(5) में उल्लिखित प्राविधानानुसार संयुक्त परीक्षा आयोजित होने के कारण सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी पद हेतु 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी।**

सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025 हेतु इच्छुक/पात्र अभ्यर्थियों से विज्ञापन की शर्तानुसार ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते है। इच्छुक/पात्र अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर **दिनांकः 30 जनवरी, 2025 से दिनांकः 19 फरवरी, 2025** तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।

1. **रिक्तियों का विवरण – सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025** के अन्तर्गत सहायक वन संरक्षक के 03 पद एवं लौगिंग अधिकारी के 12 पद तथा वनक्षेत्राधिकारी के 31 पद हैं। रिक्तियों की संख्या बढ़ायी या घटायी जा सकती है। रिक्तियों के सापेक्ष श्रेणी/उपश्रेणीवार (उर्ध्व/क्षैतिज) आरक्षण एवं अर्हताओं का पदवार विवरण :–

(क)–सहायक वन संरक्षक

01. पद का विवरण– 03 पद

श्रेणी	रिक्त पद	उपश्रेणी/क्षैतिज आरक्षण का विवरण						
		उत्तराखण्ड महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	दिव्यांगजन	पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड प्रभावित/अनाथ बच्चे	कुशल खिलाड़ी	राज्य आन्दोलन कारी
अनारक्षित	03	00	00	00	00	00	00	00
अनुसूचित जाति	00	00						
अनुसूचित जनजाति	00	00						
अन्य पिछड़ा वर्ग	00	00						
आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग	00	00						
कुल रिक्तियां	**03**	**00**	00	00	00	00	00	00

(नोटः–जिन आरक्षित श्रेणियों के पद विज्ञापित नहीं हैं, वे अनारक्षित श्रेणी के पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।)

02. पद का स्वरूप :– राजपत्रित (समूह 'ख') व स्थायी।

03. वेतनमान एवं पेंशन :– रू0 56,100–1,77,500 (लेवल–10), अंशदायी पेंशन योजना।

04. अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं:– सहायक वन संरक्षक के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम से कम एक विषय के साथ, "विज्ञान स्नातक, प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि" या उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त होना आवश्यक होगाः–

(एक) कृषि, (दो) वनस्पति विज्ञान (तीन) रसायन विज्ञान (चार) कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर विज्ञान (पांच) अभियांत्रिकी(कृषि/कैमिकल/सिविल/कम्प्यूटर/इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रॉनिक्स/मैकेनिकल), (छः) पर्यावरणीय विज्ञान (सात) वानिकी (आठ) भू–विज्ञान (नौ) उद्यान विज्ञान, (दस) गणित (ग्यारह) भौतिकी (बारह) सांख्यिकी (तेरह) पशु चिकित्सा विज्ञान (चौदह) प्राणी विज्ञान।

05. अधिमानी अर्हता–अन्य बातें समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में, चयन प्रक्रिया में ऐसे अभ्यर्थियों को, अधिमान दिया जाएगा, जिसने–

(क) प्रादेशिक सेना में न्यूनतम दो वर्ष की अवधि तक सेवा की हो; या
(ख) नेशनल कैडेट कोर का 'बी' प्रमाण–पत्र अथवा 'सी' प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो।

(ख)–लौगिंग अधिकारी

01. पद का विवरण– 12 पद

श्रेणी	रिक्त पद	उपश्रेणी / क्षैतिज आरक्षण का विवरण						
		उत्तराखण्ड महिला	स्व0सं0 से0 के आश्रित	दिव्यांगजन	पूर्व सैनिक	उत्तराखण्ड प्रभावित / अनाथ बच्चे	उत्तराखण्ड राज्य के कुशल खिलाड़ी	राज्य आन्दोलनकारी
अनारक्षित	07	02	00	00	00	00	00	00
अनुसूचित जाति	03	01						
अनुसूचित जनजाति	00	00						
अन्य पिछड़ा वर्ग	01	00						
आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग	01	00						
कुल रिक्तियां	**12**	**03**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**	**00**

(नोटः–जिन आरक्षित श्रेणियों के पद विज्ञापित नहीं हैं, वे अनारक्षित श्रेणी के पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं तथा जिन उपश्रेणियों में पद विज्ञापित नहीं वे अपनी मूल श्रेणी के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।)

02. पद का स्वरूप :– अराजपत्रित (समूह 'ख') व अस्थायी।

03. वेतनमान एवं पेंशन :–रू0 56,100–1,77,500 (वेतन मैट्रिक्स लेवल–10) एवं अंशदायी पेंशन योजना (ई0पी0एफ0)।

04. अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएंः– लौगिंग अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी द्वारा भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम से कम एक विषय के साथ विज्ञान स्नातक अथवा समकक्ष स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण की गई होनी चाहिएः–

(1) कृषि, (2) वनस्पति विज्ञान (3) रसायन शास्त्र (4) कम्प्यूटर एप्लीकेशन / कम्प्यूटर साइन्स (5) अभियांत्रिकी (कृषि / रसायन / सिविल / कम्प्यूटर / इलैक्ट्रिकल / इलैक्ट्रॉनिक्स / मैकेनिकल) (6) पर्यावरणीय विज्ञान (7) वानिकी (8) भू–विज्ञान (9) उद्यान विज्ञान, (10) गणित (11) भौतिकी (12) सांख्यिकी (13) पशु चिकित्सा विज्ञान (14) प्राणी विज्ञान

05. अधिमानी अर्हता–अन्य बातों के समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में, उन अभ्यर्थियों को, अधिमान दिया जाएगा, जिन्होंने–

(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा पूर्ण की हो; या

(ख) नेशनल कैडेट कोर का ''बी'' अथवा ''सी'' प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो, या

(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।

(ग)—वनक्षेत्राधिकारी

01. पद का विवरण— 31 पद

<table>
<tr><th rowspan="2">श्रेणी</th><th rowspan="2">रिक्त पद</th><th colspan="7">उपश्रेणी/क्षैतिज आरक्षण का विवरण</th></tr>
<tr><th>उत्तराखण्ड महिला</th><th>स्व0सं0 से0 के आश्रित</th><th>दिव्यांगजन</th><th>पूर्व सैनिक</th><th>उत्तराखण्ड प्रभावित/ अनाथ बच्चे</th><th>उत्तराखण्ड राज्य के कुशल खिलाड़ी</th><th>राज्य आन्दोलनकारी</th></tr>
<tr><td>अनारक्षित</td><td>20</td><td>06</td><td rowspan="5">00</td><td rowspan="5">01 (HH/PD)</td><td rowspan="5">01</td><td>01</td><td rowspan="5">00</td><td rowspan="5">00</td></tr>
<tr><td>अनुसूचित जाति</td><td>07</td><td>02</td><td>00</td></tr>
<tr><td>अनुसूचित जनजाति</td><td>00</td><td>00</td><td>00</td></tr>
<tr><td>अन्य पिछड़ा वर्ग</td><td>01</td><td>00</td><td>00</td></tr>
<tr><td>आर्थिक रुप से पिछड़ा वर्ग</td><td>03</td><td>00</td><td>00</td></tr>
<tr><td>कुल रिक्तियां</td><td>31</td><td>08</td><td>00</td><td>01</td><td>01</td><td>01</td><td>00</td><td>00</td></tr>
</table>

(नोटः—जिन आरक्षित श्रेणियों के पद विज्ञापित नहीं हैं, वे अनारक्षित श्रेणी के पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं तथा जिन उपश्रेणियों में पद विज्ञापित नहीं वे अपनी मूल श्रेणी के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं।)

02. पद का स्वरूप :— राजपत्रित (समूह 'ख') व स्थायी।

03. वेतनमान एवं पेंशन :— रू0 47,600—1,51,100 (लेवल—08), अंशदायी पेंशन योजना।

04. अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएंः— वन क्षेत्राधिकारी के पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी को भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से निम्नलिखित में से कम से कम एक विषय के साथ, "विज्ञान, प्रौद्योगिकी अथवा अभियांत्रिकी में स्नातक उपाधि" या उनके समकक्ष मान्यता प्राप्त उपाधि प्राप्त होना आवश्यक होगाः—

(01) कृषि, (02) वनस्पति विज्ञान (03) रसायन विज्ञान (04) कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर विज्ञान (05) अभियांत्रिकी (कृषि/रसायन/सिविल/कम्प्यूटर/इलैक्ट्रिकल/इलैक्ट्रॉनिक्स/मैकेनिकल), (06) पर्यावरणीय विज्ञान (07) वानिकी (08) भू—विज्ञान (09) उद्यान विज्ञान, (10) गणित (11) भौतिकी (12) सांख्यिकी (13) पशु चिकित्सा विज्ञान (14) प्राणी विज्ञान।

05. अधिमानी अर्हता—अन्य बातें समान होने पर, सीधी भर्ती के मामले में, उन अभ्यर्थियों को, अधिमान दिया जाएगा, जिसने—

(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम दो वर्ष सेवा की हो; या
(ख) नेशनल कैडेट कोर का ''बी'' प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो, या
(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण—पत्र प्राप्त किया हो।

2. शासनादेश संख्याः 48/XVII-A-3/2023-01(11)/वि0क0/2017, दिनांक—05.06.2023 के अनुसार उक्त पदों के सापेक्ष दिव्यांगता की चिहि्नत श्रेणियों का विवरण निम्नवत् है—

क्र. सं.	पदनाम/विभाग	दिव्यांगता से ग्रस्त अभ्यर्थियों हेतु चिहि्नत श्रेणी
01	02	03
1.	सहायक वन संरक्षक	HH/PD एवं AAV/AV
2.	लौगिंग अधिकारी	HH/PD एवं AAV/AV
3.	वनक्षेत्राधिकारी	HH/PD एवं AAV/AV

नोटः— स्तम्भ–02 में उल्लिखित पदों के सापेक्ष स्तम्भ–03 में उल्लिखित दिव्यांगजन उपश्रेणी के अभ्यर्थी शासनादेश संख्या : 232(1)/XXX(2)/2018 दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के प्रस्तर–6 के अनुक्रम में अनारक्षित पदों के सापेक्ष खुली प्रतियोगिता के माध्यम से चयन हेतु आवेदन कर सकते हैं। उक्त के अतिरिक्त दिव्यांगजन की अन्य उपश्रेणियों से सम्बन्धित अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

3. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 244/XXXVI(3)/2024/48(1)/2023, दिनांकः 18 अगस्त, 2024 द्वारा निर्गत **उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023** एवं शासनादेश संख्याः 103, दिनांकः 30 अगस्त, 2024 के अनुक्रम में राज्याधीन सेवाओं में सीधी भर्ती के पदों के संबंध में उत्तराखण्ड राज्य के चिह्नित राज्य आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया गया है। सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी पद हेतु शासन से प्राप्त अधियाचन में उत्तराखण्ड राज्य के चिह्नित राज्य आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों हेतु आरक्षित पदों का विवरण नहीं दिया गया है। आयोग द्वारा प्रश्नगत पद के अधियाचन में उत्तराखण्ड राज्य के चिह्नित राज्य आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों हेतु आरक्षित पदों का विवरण दिये जाने के सम्बन्ध में शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। उत्तराखण्ड शासन का प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर राज्य आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों के क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

4. उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 117/XXXVI(3)/ 2024/09(1)/2024 दिनांकः 16 मार्च, 2024 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम 2024 द्वारा लोक सेवाओं और पदों में उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले कुशल खिलाड़ियों के लिए 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। सहायक वन संरक्षक एवं वनक्षेत्राधिकारी पद हेतु शासन से प्राप्त अधियाचन में कुशल खिलाड़ियों हेतु आरक्षित पदों का विवरण नहीं दिया गया है। आयोग द्वारा प्रश्नगत पद के अधियाचन में कुशल खिलाड़ियों के क्षैतिज आरक्षण के पदों का विवरण दिये जाने के सम्बन्ध में शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। उत्तराखण्ड शासन का प्रतिउत्तर प्राप्त होने पर कुशल खिलाड़ियों के क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत रिक्तियों की संख्या के सम्बन्ध में विज्ञप्ति आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी।

5. चयन की प्रक्रियाः—**1. सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025** के अन्तर्गत प्रारम्भिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा तथा साक्षात्कार परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम ''**परिशिष्ट–1**'' पर उपलब्ध है। **मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया जाएगा।** परीक्षा योजना का विवरण निम्नवत है—

प्रारम्भिक परीक्षा की परीक्षा योजना

क्र0सं0	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि
1	सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	150	150	02 घण्टे

मुख्य (लिखित) परीक्षा की परीक्षा योजना

क्र0सं0	विषय	अधिकतम अंक	समय अवधि
1	प्रथम अनिवार्य प्रश्नपत्र (सामान्य हिन्दी)	100	03 घण्टे
2	द्वितीय अनिवार्य प्रश्नपत्र (सामान्य अंग्रेजी)	100	03 घण्टे
3	तृतीय अनिवार्य प्रश्नपत्र (सामान्य ज्ञान)	100	03 घण्टे
4	प्रथम वैकल्पिक विषय	200	03 घण्टे
5	द्वितीय वैकल्पिक विषय	200	03 घण्टे
6	साक्षात्कार	75	
कुल अंक		**775**	

वैकल्पिक विषयः (01) कृषि, (02) वनस्पति विज्ञान, (03) रसायन शास्त्र, (04) कम्प्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर विज्ञान, (05) अभियांत्रिकी–कृषि/रसायन/सिविल/ कम्प्यूटर/इलैक्ट्रिकल/ इलैक्ट्रॉनिक्स /मैकेनिकल), (06) पर्यावरणीय विज्ञान, (07) वानिकी, (08) भू–विज्ञान, (09) उद्यान विज्ञान, (10) गणित, (11) भौतिकी, (12) सांख्यिकी, (13) पशु चिकित्सा विज्ञान, (14) प्राणी विज्ञान।, में से कोई दो विषय।

नोटः–किसी भी अभ्यर्थी को निम्न समूह में एक से अधिक विषय लिए जाने की अनुमति न होगी–

(क) कृषि, कृषि अभियांत्रिकी और पशु चिकित्सा विज्ञान,
(ख) रसायन शास्त्र और रसायन अभियांत्रिकी,
(ग) कंप्यूटर एप्लीकेशन/कम्प्यूटर साईन्स और कम्प्यूटर अभियांत्रिकी,
(घ) इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलैक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग,
(ड.) गणित और सांख्यिकी।

2. **सामान्य हिन्दी प्रश्नपत्र में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो सामान्य हिन्दी प्रश्नपत्र में न्यूनतम 35 प्रतिशत से कम अंक प्राप्त करेगें, उनकी मुख्य परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।**
3. **प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना किसी भी दशा में अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए नहीं की जायेगी।**

6. **शारीरिक योग्यताः**– (1) सीधी भर्ती द्वारा किसी अभ्यर्थी को सेवा में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह ऊँचाई और सीने के घेरे के लिये नीचे विनिर्दिष्ट न्यूनतम मानक न रखता होः–

लिंग	ऊँचाई	सीने का घेरा	
		सामान्य	फैलाव
पुरूष	163 से0मी0	84 से0मी0	05 से0मी0
महिला	150 से0मी0	79 से0मी0	05 से0मी0

परन्तु यह कि अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊँनी, मिजो, नागा के मूलवंश और अरूणांचल प्रदेश लाहुल एवं स्फीति और मेघालय के अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊँचाई का मानक निम्न प्रकार होगाः–

पुरूष	152 से0मी0
महिला	145 से0मी0

ऊंचाई के मानक में छूट के लिए अभ्यर्थियों को **परिशिष्ट–7** के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(2) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों के दक्षतापूर्ण निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अनुमोदित करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड 2, भाग–3 के अध्याय–3 में समाविष्ट मूलनियम 10 के अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा (सहायक वन संरक्षक पद हेतु किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अन्तिम रूप से अनुमोदित करने से पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह राज्य की चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित स्वास्थ्य परीक्षा उत्तीर्ण कर लें), परन्तु यह और कि किसी महिला अभ्यर्थी का परीक्षण के आधार पर बारह सप्ताह या अधिक की गर्भवती पाये जाने पर अस्थायी रूप से अस्वस्थ घोषित किया जायेगा। प्रसूति के दिनांक से छः सप्ताह पश्चात् स्वस्थता के लिए उसका पुनः परीक्षण किया जायेगा।

(3) लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी पद के लिए किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को सेवा में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त नही किया जायेगा, जो ''कलर ब्लाईन्ड'' हो और/या जिसकी सामान्य दृष्टि में +/− 4.00 डी0 से अधिक दोष हो।

(4) लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी के पद पर सीधी भर्ती में पुरूष अभ्यर्थी के मामले में 25 किमी0 व महिला अभ्यर्थी के मामले में 16 किमी0 की दूरी पैदल चलकर चार घंटे में पूरी करना आवश्यक होगा तथा सहायक वन संरक्षक पद हेतु पुरूष अभ्यर्थी के मामले में 25 किमी0 व महिला अभ्यर्थी के मामले में 14 किमी0 की दूरी पैदल चलकर पूरी करना आवश्यक होगा, अन्यथा अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए अयोग्य माना जायेगा। ***(नोटः— यदि महिला अभ्यर्थी निर्धारित समय चार घंटे में पैदल चलकर 14 किमी0 की दूरी तो पूरी कर लेती है, किन्तु 16 किमी0 की दूरी पूरी नहीं कर पाती है, तो उस महिला अभ्यर्थी को केवल सहायक वन संरक्षक पद हेतु अर्ह माना जाएगा।)***

07. आयु :— आयु सीमा 21 से 42 वर्ष निर्धारित है। आयु गणना की निश्चायक तिथि 01 जुलाई, 2025 है। अभ्यर्थी की आयु 01 जुलाई, 2025 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा अधिकतम 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए अर्थात् अभ्यर्थी का जन्म 01 जुलाई 2004 के पश्चात् का एवं 02 जुलाई, 1983 से पूर्व का नहीं होना चाहिए।

08. अधिकतम आयु सीमा में छूट :— विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों के अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड शासन द्वारा समय—समय पर निर्गत एवं वर्तमान में प्रचलित शासनादेशों के अनुसार उच्चतम आयु सीमा में उनके आरक्षण की श्रेणी तथा उपश्रेणी के अनुसार छूट प्रदान की जाएगी।

1. उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/ उत्तराखण्ड अनुसूचित जनजाति/उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु शासनादेश संख्या : 1399, दिनांकः 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
2. उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
3. उत्तराखण्ड के दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए शासनादेश संख्या : 1244, दिनांक 21 मई, 2005 द्वारा समूह 'ख' के पदों हेतु अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट अनुमन्य है।
4. शासनादेश संख्याः 17/2/1981— कार्मिक—2, दिनांक 28 फरवरी, 1985 के अनुसार उत्तराखण्ड के पूर्व सैनिकों को जिन्होंने सेना के आपातकालीन कमीशन प्राप्त अधिकारियों/अल्पकालीन सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों सहित, पूर्व सैनिकों तथा कमीशन प्राप्त उन अधिकारियों को जिन्होंने सेना में कम से कम पांच वर्ष की सेवा कर ली हो, निर्धारित अधिकतम आयु सीमा से अधिकतम पांच वर्ष तक की छूट सेवाकाल को आधार मानकर, दी जायेगी। यह छूट उन सैनिकों/अधिकारियों को भी अनुमन्य होगी जो छः माह की अवधि में कार्यमुक्त होने वाले हों परन्तु निम्नलिखित को अनुमन्य नहीं होगीः—
   1. जो कदाचार अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त हुए हों,
   2. जो सेना की सेवा में अवगुण समझी जाने वाली शारीरिक अयोग्यता अथवा अशक्तता के कारण सेवामुक्त हुए हों।

09. आरक्षण :— उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य होगा। **ऑनलाइन आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण की श्रेणी/उप श्रेणी का दावा करने पर ही आरक्षण अनुमन्य किया जायेगा।**

(क) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पूर्व सैनिक, निःशक्त (दिव्यांग), स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, अनाथ बच्चे, महिला श्रेणी, उत्तराखण्ड के कुशल खिलाड़ी श्रेणी तथा उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आंदोलनकारियों या उनके आश्रित

के ऐसे अभ्यर्थी, जो उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी नहीं हैं, को आरक्षण का लाभ अनुमन्य नहीं होगा। ऐसे अभ्यर्थी केवल अनारक्षित (सामान्य) श्रेणी के अन्तर्गत ही आवेदन कर सकेंगे।

(ख) अधिसूचना संख्याः **64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019, दिनांक** 07.03.2019 द्वारा उत्तराखण्ड लोक सेवा (आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों हेतु आरक्षण) अधिनियम 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को राज्याधीन लोक सेवाओं और सीधी भर्ती के पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र जिस वर्ष हेतु निर्गत किया जाये, उस वर्ष से पूर्व वित्तीय वर्ष की आय के आधार पर जारी होना चाहिए अर्थात **आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र वित्तीय वर्ष 2023–24 की आय की गणना के आधार पर निर्गत एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु मान्य होना चाहिए, अर्थात् 01 अप्रैल, 2024 से पूर्व निर्गत ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होगा।** उक्त के अतिरिक्त अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक अवश्य धारित व मान्य होना चाहिये। **आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के उपरान्त निर्गत प्रमाण पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।**

(ग) **शासनादेश संख्या 48/XVII-A-3/2023–01(11)/वि0क0/2017, दिनांक 05 जून 2023** के आधार पर दिव्यांगजनों के लिए पद चिन्हित किये गये हैं। दिव्यांगजनों के आरक्षण के लाभ हेतु दिव्यांगता की विभिन्न श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी में कम से कम **40 प्रतिशत की विकलांगता** होना अनिवार्य है।

(घ) उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी अधिसूचना संख्याः **09/XXXVI(3)/2023/72(1)/2022, दिनांक 10 जनवरी, 2023** के क्रम में उत्तराखण्ड लोक सेवा (महिलाओं के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम–2022 के प्रस्तर–3(1) व (2) के अनुसार उत्तराखण्ड अधिवासित महिलाओं को क्षैतिज आरक्षण का लाभ अनुमन्य किया जायेगा।

(ड.) पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ **शासनादेश संख्या 133/XXXVI(3)2009/14(1)/2009, दिनांक 16.03.2009** के अनुसार सेना से सेवानिवृत्त/विनियोजित सैन्यकर्मियों को ही अनुमन्य होगा। पूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सम्बन्ध में कार्मिक एवं सतर्कता विभाग के शासनादेश सं0–406/XXX(2)2021-55(41)/2004, दिनांक 18 जनवरी, 2021, शासनादेश संख्याः 51/XXX(2)2021-53(01)/2001, दिनांक 09 फरवरी, 2021 एव शासनादेश संख्या 277/XXX(2)2021-30(21)/2018, दिनांक 13 सितम्बर, 2021 द्वारा भूतपूर्व सैनिकों को राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन के सबंध में दिशा–निर्देश निर्गत हैं। भारत सरकार के O.M. No. 36034/6/90-Estt. (SCT) दिनांक 02 अप्रैल, 1992 के संदर्भ में शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि

(a) Once an ex-serviceman has joined the Government job on civil side after availing of the benefits given to him as an ex-serviceman for his re-employment, his ex-serviceman status for the purpose of re-employment in Government would cease.

(b) The ex-servicemen candidates who have already secured employment under the State Govt. in Groups C & D will be permitted the benefit of age relaxation as prescribed for ex-servicemen for securing another employment in a higher grade or cadre in Group C/D under the State Govt. However, such candidates will not be eligible for the benefit of reservation for ex-servicemen in State Govt. jobs.

(c) If an ex-serviceman applies for various vacancies before joining any civil employment, he/she can avail of the benefit of reservation as ex-serviceman for any subsequent employment. However, to avail of this benefit, an ex-serviceman as soon as he/she joins any civil employment, should give self declaration/undertaking to the concerned employer about the date-wise details of application for various vacancies for which he/she has

applied for before joining the initial civil employment. Further, this benefit would be available only in respect of vacancies which are filled on direct recruitment and whereve reservation is applicable to the ex-serviceman. का प्राविधान राज्य सरकार द्वारा अंगीकृत किया गया है। अतएव राज्याधीन सेवाओं में सेवायोजन हेतु भारत सरकार की नीति के अनुसार राज्याधीन सेवाओं में भी क्षैतिज आरक्षण की गणना की जायेगी। पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी को पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं होने संबंधी शपथ पत्र (Affidavit) अपने अन्य अभिलेखों के साथ अभिलेख सत्यापन के समय उपलब्ध कराना होगा।

(च) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों के आलोक में दिया जाएगा।

(छ) उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 179/XXX(2)/2021-30(2)/2019, दिनांकः 31 अगस्त, 2021 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी निवासी, ऐसे प्रभावित बच्चों (जिनके जैविक/दत्तक माता–पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष तक की अवधि में हुई हो) तथा राज्य में संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चों को राजकीय/शासकीय सेवा में क्षैतिज आरक्षण नियमावली, 2021 एवं शासनादेश संख्या–11/XXX(2)/2022-30(2)/2019, दिनांक 16 फरवरी, 2022 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड के अनाथ बच्चों को क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। उक्त आरक्षण के दावे के समर्थन में सम्बन्धित प्रमाण पत्र जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी की संस्तुति पर उप जिलाधिकारी से अन्यून अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो।

(ज) उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्याः 117/XXXVI(3)/2024/09(1)/2024, दिनांक 16 मार्च, 2024 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) अधिनियम, 2024 एवं शासनादेश संख्या–208271/XXX(2)/2024-E40510, दिनांक 01 मई, 2024 के अनुक्रम में उत्तराखण्ड राज्य के अधिवासी कुशल खिलाड़ियों को 04 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण अनुमन्य किया गया है। तद्क्रम में विज्ञापन में पद होने की दशा में उत्तराखण्ड के कुशल खिलाडी अभ्यर्थियों के लिए **(ओलम्पिक खेल में पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ी सहायक वन संरक्षक एवं लौगिंग अधिकारी के लिए एवं ओलम्पिक खेल/विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल में पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले खिलाडी वनक्षेत्राधिकारी पद के आरक्षण हेतु पात्र होंगे।)** आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार प्रदान किया जायेगा।

(झ) **शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक** 26.02.2016 द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये।**

(ञ) उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रित अभ्यर्थियों को क्षैतिज आरक्षण का लाभ शासन द्वारा निर्गत अद्यतन शासनादेशों के आलोक में दिया जाएगा। **अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि को अवश्य वैध होना चाहिये। शासनादेश संख्याः 139/XX (8)/24–27(रा0आ0)/2018, दिनांकः 24.11.2024** के क्रम में जो राज्य आन्दोलनकारी पूर्व से ही राज्य आन्दोलनकारी कोटे से सरकारी सेवा में सेवायोजित होने का लाभ ले चुके है, वे पुनः अन्य सरकारी सेवा में क्षैतिज आरक्षण का लाभ लेने हेतु पात्र नहीं होंगे। अतः प्रत्येक राज्य आन्दोलनकारियों का दावा करने वाले अभ्यर्थी को इस आशय का शपथ पत्र देना होगा

कि उनके द्वारा अभी तक सरकारी सेवा में राज्य आन्दोलनकारी कोटे में क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्राप्त नहीं किया गया है।

(ट) यदि अभ्यर्थी क्षैतिज आरक्षण के अन्तर्गत एक से अधिक उपश्रेणी में आरक्षण का दावा करता है तो वह केवल एक उप श्रेणी जो उसके लिए अधिक लाभदायक होगी, का लाभ पाने का पात्र होगा।

(ठ) ऑनलाइन आवेदन पत्र में आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास अपनी श्रेणी/उपश्रेणी के समर्थन में विज्ञापन के **"परिशिष्ट–02"** में उल्लिखित प्रारुप अथवा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित प्रारुप पर सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र होना आवश्यक है, जिसे उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति के साथ आयोग द्वारा मांगे जाने पर सभी शैक्षणिक अभिलेखों के साथ संलग्न कर प्रस्तुत करना होगा। आरक्षण के सम्बन्ध में जिस श्रेणी से सम्बन्धित निर्धारित प्रारुप का उल्लेख **"परिशिष्ट–02"** में नहीं है, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारुप पर जारी किया गया हो, संलग्न करें। जहां शपथ पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक हो वहां वांछित शपथ पत्र मजिस्ट्रेट अथवा नोटरी द्वारा विधिवत प्रमाणित कराकर ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अवश्य संलग्न कर प्रस्तुत करें।

10. राष्ट्रीयता:– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी :–

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से 01 जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो, या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो, जिसने भारत में स्थायी निवास करने के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश–केन्या, युगांडा या यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तन्जानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो;

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) और (ग) के अभ्यर्थी को ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण–पत्र जारी किया गया हो:

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह उप महानिरीक्षक, अभिसूचना शाखा, उत्तराखण्ड से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त कर ले।

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण–पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिए जारी नहीं किया जायेगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायेगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी: ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण–पत्र आवश्यक हो, किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इंकार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण–पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

11. चरित्र:– सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिए अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो। नियुक्ति प्राधिकारी स्वयं इस संबंध में अपना समाधान करेंगे।

टिप्पणी:–संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियन्त्रणाधीन किसी निगम या

निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। नैतिक अधमता के किसी अपराध के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12. <u>वैवाहिक प्रास्थितिः–</u> सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरूष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पत्नी जीवित हों या ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र नहीं होगी जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो जिसकी पहले से ही जीवित पत्नी हो।

परन्तु यह कि यदि सरकार का समाधान हो जाये कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से मुक्त कर सकेगी।

13. <u>शारीरिक स्वस्थताः–</u> (1) किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर नियुक्त नहीं किया जायेगा, यदि वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है और किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त नहीं है, जिसके कारण उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक निर्वहन में हस्तक्षेप की संभावना हो। किसी अभ्यर्थी को सीधी भर्ती से नियुक्ति के लिए अनुमोदित किये जाने से पूर्व, उससे यह अपेक्षा की जायेगी कि वह चिकित्सा परीक्षा में सफल हो गया है।

(2) सेवा में अन्य पदों के मानकों में वित्तीय हस्त पुस्तिका खण्ड–दो, भाग–तीन के अध्याय–तीन में दिये गये मूल नियम–10 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार स्वस्थता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना अपेक्षित होगा।

14. ऑनलाइन आवेदन किये जाने हेतु प्रक्रिया **(Procedure to apply online)** :–

(i) अभ्यर्थी विज्ञापन का सम्यक् रूप से अवलोकन करने हेतु आयोग की वेबसाइट **psc.uk.gov.in** या **ukpsc.net.in** पर जायें।

(ii) विज्ञापन का अवलोकन करने के पश्चात **ukpsc.net.in** पर जाकर **Menu bar** में **How to Apply** लिंक पर क्लिक करें। **How to Apply** पेज पर **Advertisement Details, Important Dates** एवं **Instructions for filling up online application form** का अवलोकन करने के पश्चात **Apply Now** बटन पर क्लिक करें।

(iii) **Apply Now** पर क्लिक करने के पश्चात् खुले **Registration** फॉर्म पर वांछित, अपनी सही जानकरी भरकर **Login** हेतु **Password** बनाकर **Submit** पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात फॉर्म पर भरी जानकारी **Basic Information** प्रदर्शित होगी। भरी हुई जानकारी का पुनः सम्यक परीक्षण कर लें। यदि भरी हुई जानकारी सही है तो **I have verified all the details entered by me in the registration form and wish to submit the same** पर **Tick** कर **Submit** पर क्लिक करें, अन्यथा **No, I want to change some details** पर **Tick** कर **Edit** पर क्लिक करें एवं संशोधित **detail** भरने के पश्चात् पुनः **Registration** फार्म **Submit** करने की प्रक्रिया पूर्ण करें।

(iv) **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात स्क्रीन पर **Primary Registration** पूर्ण होने की जानकारी प्रदर्शित होगी एवं **Registered Mobile Number** एवं **Email** पर **Message**प्राप्त होगा। तत्पश्चात् स्क्रीन पर **Click here to login** के बटन पर क्लिक करें।

(v) **Login** करने के पश्चात **Educational Details** पेज प्रदर्शित होगा। अभ्यर्थी अपने शैक्षिक विवरण के अनुसार फॉर्म पर **Educational Qualifications** के अन्तर्गत सर्वप्रथम **High School** का विवरण भरें एवं **Add Education Details** पर क्लिक करें, भरा गया विवरण **Add Education**

Detail के नीचे ग्रिड में प्रदर्शित होगा। गलत **Educational** विवरण भरने की स्थिति में ग्रिड में **Edit/Delete** के **Icon** पर क्लिक कर **Edit** अथवा **Delete** किया जा सकता है। इसी प्रकार **Intermediate, Graduate** व अन्य शैक्षिक अर्हताएं भरें। फॉर्म पर अन्य विवरण भर कर **Continue** पर क्लिक करें। उसके पश्चात **Photo & Signature to Upload** टैब पर **Photo, Signature** को प्रदर्शित सूचना के आधार पर अपलोड करें। **Photo, Signature** को **re-upload** करने के लिए **I want to upload photo and signature Checkbox** पर क्लिक कर पुन **Photo, Signature** अपलोड किये जा सकते है।

(vi) **Photo, Signature** अपलोड होने के पश्चात **"I hereby declare that the photograph & signature are correct and accurate representation of myself" declaration** पर **Tick** कर **Continue** पर क्लिक करें। तत्पश्चात् फॉर्म में भरा गया डाटा स्क्रीन पर दिखाई देगा। फॉर्म में भरे गये विवरण को सावधानी पूर्वक चेक कर लें। गलत भरें गये विवरण को **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फॉर्म पर वापस जाकर सही किया जा सकता है। वाँछित विवरण सही होने की स्थिति में घोषणा पर **Tick** करने के पश्चात् **Final Button** पर क्लिक कर, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करें। **Print Application** बटन पर क्लिक कर ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट प्राप्त कर लें।

(vii) **Final Submission** के उपरान्त आनलाइन आवेदन–पत्र में त्रुटि होने पर अभ्यर्थी अपना आवेदन रद्द **(Cancel)** कर पुनः आवेदन कर सकते हैं। आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के लिए **Cancel My Application** बटन पर क्लिक करें। तत्पश्चात एक नई विण्डो ओपन होगी, जिसमें दी गयी घोषणा का सम्यक् अध्ययन करने के पश्चात् घोषणा को **Tick** कर **Submit** बटन पर क्लिक करें अथवा वापस जाने हेतु **Close** की जगह **Back** बटन पर क्लिक करें। **Submit** पर क्लिक करने के पश्चात् अभ्यर्थी को पंजीकृत मोबाईल पर ओ0टी0पी0**(OTP)** प्राप्त होगा, जिसको कि **Enter OTP** वाली फील्ड्स पर दर्ज कर **Cancel Application** बटन पर क्लिक करें। आवेदन रद्द **(Application Cancel)** करने के पश्चात् उस रद्द आवेदन **(Cancel Application)** के सापेक्ष किसी भी दशा में कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जायेगा।

<u>नोटः</u> (i) **Final Submission** से पूर्व अभ्यर्थी द्वारा आवेदन–पत्र में त्रुटि होने की दशा में **Back & Edit** के बटन पर क्लिक कर फॉर्म में वापस **(Back)** जाकर त्रुटि में संशोधन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आने वाली तकनीकी समस्या **(Technical Issue)** के समाधान हेतु अभ्यर्थी **ukpschelpline@gmail.com** पर ई–मेल कर सकते हैं।

(ii) **Final Submission** के पश्चात् आवेदन–पत्र में भरे गये डाटा में अभ्यर्थी द्वारा किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता है।

(iii) अभ्यर्थी द्वारा रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूर्ण किये जाने के पश्चात् **मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 Edit** नहीं किया जा सकता है।

<u>नोटः</u> **Final Submission** के पश्चात् आवेदन–पत्र का प्रिंट–आउट निकालकर इसे ध्यान से पढ़ लें और सुनिश्चित कर लें कि इसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, यदि कोई त्रुटि पाई जाती है तो **अति–महत्वपूर्ण निर्देश सं0–7** के अनुसार कार्यवाही करें।

15. संशोधन/परिवर्तन प्रक्रिया– ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात् प्रविष्टियों में संशोधन/परिवर्तन किये जाने हेतु दिशा–निर्देशः–

- **(i)** ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि समाप्त होने के पश्चात् 05 कार्यदिवस के उपरांत (Edit/Correction) का लिंक खोला जाएगा।
- **(ii)** (Edit/Correction) हेतु उक्त लिंक की समयावधि 10 दिन होगी।
- **(iii)** जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण की है, केवल वह अभ्यर्थी ही अपने ई–मेल आई0डी0 एवं पासवर्ड से लॉग–इन कर पायेंगे।
- **(iv)** लॉग–इन करने के पश्चात् अभ्यर्थी शर्तानुसार अपने भरे हुए डाटा में **(मोबाइल नम्बर एवं ई–मेल आई0डी0 को छोड़कर)** आवश्यकतानुसार संशोधन कर पायेंगे।
- **(v)** अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण करनी होगी, उसके पश्चात् ही आवेदन पत्र में डाटा Update हो सकेगा।
- **(vi)** Edit/Correction की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् Edited Data ही अंतिम माना जायेगा।
- **(vii)** अभ्यर्थी द्वारा श्रेणी/उपश्रेणी में परिवर्तन किये जाने पर अभ्यर्थियों को परिवर्तित श्रेणी/उपश्रेणी का शुल्क विज्ञापन की शर्तो के अनुसार देय होगा, किन्तु अगर अभ्यर्थी केवल ऐसी उपश्रेणी (डी0एफ0एफ0/उ0म0 इत्यादि) में बदलाव करता है जिससे शुल्क में कोई प्रभाव नही पड़ता तो उस उपश्रेणी में बदलाव का कोई शुल्क देय नही होगा। अभ्यर्थी को अन्य प्रविष्टियों में परिवर्तन/त्रुटि सुधार करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा।
- **(viii)** अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में दिये गये शुल्क को रिफंड नहीं किया जाएगा।
- **(ix)** इस संबंध में अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उक्त **संशोधन/परिवर्तन (Edit/Correction)** के अंतिम अवसर के उपरान्त किसी भी दशा में अभ्यर्थी को उनके ऑनलाइन आवेदन पत्र में अंकित की गयी किसी भी प्रविष्टियों/दावों को संशोधित/परिवर्तित करने के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

16. **शुल्कः– प्रश्नगत् परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों को** Net Banking/Debit Card/Credit Card/UPI **के माध्यम से निम्नानुसार शुल्क जमा करना अनिवार्य है :–**

क्र0सं0 (Sr. No.)	श्रेणी (Category)	आवेदन–शुल्क (Application Fees)	प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित (Processing Fees with Tax)	कुल शुल्क (Total Fees)
1	अनारक्षित	रु0 150.00	रु0 22.30	रु0 172.30
2	उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग	रु0 150.00	रु0 22.30	रु0 172.30
3	उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति	रु0 60.00	रु0 22.30	रु0 82.30
4	उत्तराखण्ड आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	रु0 150.00	रु0 22.30	रु0 172.30
5	शारीरिक दिव्यांग	कोई शुल्क नहीं	रु0 22.30	रु0 22.30
6	उत्तराखण्ड राज्य मे संचालित स्वैच्छिक/राजकीय गृहो में निवासरत अनाथ बच्चे	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं	कोई शुल्क नहीं

नोट :– 1. उत्तराखण्ड राज्य के पूर्व सैनिक, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित एवं उत्तराखण्ड महिला, कुशल खिलाड़ी एवं राज्य आन्दोलनकारी के अभ्यर्थी जिस वर्ग या श्रेणी, यथा–अनारक्षित या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी का हो, उसे उसी वर्ग/श्रेणी हेतु निर्धारित शुल्क जमा करना होगा।

2- उत्तराखण्ड शासनादेश सं0 1673, दिनांक 10 नवम्बर 2010 एवं शासन के पत्र सं0 232, दिनांक 26 सितम्बर, 2018 के क्रम में विज्ञापित पदों के सापेक्ष चिन्हित श्रेणी के दिव्यांग अभ्यर्थियों हेतु आवेदन शुल्क में छूट अनुमन्य होगी किन्तु प्रोसेसिंग शुल्क टैक्स सहित रू0 22.30 देय होगा।

3- प्रश्नगत विज्ञापन में जिन श्रेणी के पद विज्ञापित नहीं किये गये है, वह अभ्यर्थी अनारक्षित पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते हैं तथा इसी प्रकार विज्ञापन में जिन उपश्रेणियों के पद विज्ञापित नहीं किये गये है, वह अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी यथा–अनु0जाति, अनु0जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पदों के सापेक्ष आवेदन कर सकते है

17. अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा से सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण निर्देश :–

(क) आवेदन पत्रों की सन्निरीक्षा/चयन प्रक्रियाः–

(1) आयोग द्वारा सम्पन्न की जाने वाली सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया, पदों से संबंधित संगत सेवा नियमावली, अद्यतन प्रचलित अधिनियमों/नियमावलियों/मैनुअल्स/मार्गदर्शक सिद्धान्तों एवं समय–समय पर मा0 आयोग द्वारा जारी विनियमावली एवं समय–समय पर लिये गये निर्णयों इत्यादि में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पन्न की जायेगी।

(2) अभ्यर्थियों हेतु **Uttarakhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules-2013 एवं प्रथम संशोधन–2016 और उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 यथासंशोधित** आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

(3) **आयोग कार्यालय द्वारा अभ्यर्थियों के अभिलेखों की सन्निरीक्षा (Scrutiny) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 के आलोक में यथासमय सम्पन्न की जायेगी,** जो आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसके महत्वपूर्ण बिन्दु निम्नवत् हैं:–

(i) अभ्यर्थी द्वारा जन्मतिथि हेतु हाईस्कूल (मैट्रीकुलेशन/समकक्ष) का अंकपत्र एवं प्रमाण पत्र तथा निर्धारित अंतिम तिथि तक अनिवार्य शैक्षिक अर्हता का अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र/उपाधि प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। उक्त प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(ii) अभ्यर्थियों द्वारा दावित अधिमानी अर्हता के सम्बन्ध में प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की दशा में ही अधिमानी अर्हता का लाभ अनुमन्य किया जायेगा। सम्बन्धित अभिलेखों के आधार पर उसकी अर्हता के सम्बन्ध में मा0 आयोग द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(iii) आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र (लम्बवत् एवं क्षैतिज) ऑनलाईन आवेदन पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक निर्धारित प्रारूप पर न होने/वैध न होने/भारत सरकार की सेवाओं हेतु जारी होने परंतु उत्तराखण्ड राज्य की सेवा में लागू न होने/ऑनलाईन आवेदन की अन्तिम तिथि के पश्चात् का जारी होने के कारण स्वीकार्य नहीं किये जायेंगे तथा ऐसे अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(iv) यदि अभ्यर्थी द्वारा दावित आरक्षण श्रेणी अथवा अधिकतम आयुसीमा में छूट अथवा विज्ञापन में दावित किसी अन्य तथ्य की पुष्टि हेतु अभ्यर्थी से अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है। अधिवास प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराने पर अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।

(v) अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर या अभ्यर्थी द्वारा विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि से पूर्व अपने विभाग में प्रस्तुत कर दिया हो उसकी पावती की प्रति अभिलेखों के साथ प्रेषित की गई हो तो, ऐसी स्थिति में अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा टीप में औपबंधिक अर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा तथा प्रश्नगत परीक्षा के अंतिम

चयन परिणाम घोषित होने तक विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में ऐसे अभ्यर्थियों का औपबंधिक चयन परिणाम घोषित किया जायेगा।

(vi) अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 के आलोक में सम्पन्न की जायेगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा। अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों को सूचना हेतु विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(ख) प्रारम्भिक परीक्षा से संबंधित निर्देशः–प्रारम्भिक परीक्षा का पाठ्यक्रम '**परिशिष्ट–1**' पर उपलब्ध है, प्रारम्भिक परीक्षा से सम्बन्धित महत्वपूर्ण निर्देश निम्नवत् हैं–

(1) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) की आयोजित करायी जायेगी। प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किया जायेगा।

(2) प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) **परिशिष्ट–04** के अनुसार विभिन्न नगरों के परीक्षा केन्द्रों में आयोजित की जा सकती है।

(3) **गलत उत्तरों के लिए दण्ड** – प्रारम्भिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्नपत्र होगा, वस्तुनिष्ठ प्रकृति प्रश्न–पत्रों में अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये गलत उत्तरों के लिए दण्ड (ऋणात्मक मूल्यांकन) दिया जायेगा।

- **(i)** प्रत्येक प्रश्न के लिए चार विकल्प हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रत्येक प्रश्न के लिए दिये गए एक गलत उत्तर के लिए संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक दण्ड के रुप में काटा जायेगा।
- **(ii)** किसी भी प्रश्न का यदि अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक उत्तर दिया जाता है, भले ही उनमें से कोई उत्तर सही ही क्यों न हो तो इसे गलत उत्तर माना जायेगा तथा इस हेतु दण्ड स्वरूप संबंधित प्रश्न हेतु निर्धारित अंकों का एक चौथाई अंक काटा जायेगा।
- **(iii)** यदि अभ्यर्थी द्वारा कोई प्रश्न हल नहीं किया जाता है, अर्थात् अभ्यर्थी द्वारा उत्तर नहीं दिया जाता है, तो उस प्रश्न के लिए कोई दण्ड नहीं होगा।

(4) उत्तर कुंजी आपत्ति– प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) के प्रश्न पत्र से सम्बन्धित औपबन्धिक उत्तरकुंजी का विवरण परीक्षा समाप्ति के उपरान्त् आयोग की वेबसाइट पर प्रकाशित कर दिया जायेगा और अभ्यर्थी औपबन्धिक उत्तर कुंजी के प्रकाशन के 07 दिनों के भीतर किसी प्रश्न व संबंधित उत्तर के संबंध में अपनी आपत्ति आयोग की वेबसाइट पर प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त् प्राप्त आपत्तियों पर आयोग द्वारा कोई विचार नहीं किया जायेगा। अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क रू0 50.00 का भुगतान करना होगा, जिसे किसी भी दशा में अभ्यर्थियों को वापस नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा प्रति–प्रश्न आपत्ति के सापेक्ष निर्धारित शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, तो अभ्यर्थी की आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा। औपबंधिक उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) के संबंध में प्राप्त ऑनलाइन आपत्तियों का निस्तारण संबंधित विषय–विशेषज्ञों से करवाने के पश्चात् तथा मा0 आयोग द्वारा अनुमोदन के उपरांत निर्मित संशोधित उत्तर कुंजी (Amended Answer Key) आयोग की बेवसाइट पर अपलोड की जाएगी। उक्त संशोधित उत्तर कुंजी के सापेक्ष अभ्यर्थियों से निम्न शर्तों के अधीन प्रत्यावेदन प्राप्त किये जायेंगें:–

(1) अभ्यर्थियों को ई–मेल के माध्यम से प्रत्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु 05 दिन का समय प्रदान किया जाएगा।

(2) ऐसे अभ्यर्थी संशोधित उत्तर कुंजी के संबंध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते है, जिनके द्वारा संबंधित प्रश्नों के विरूद्ध औपबंधिक उत्तर कुंजी (Provisional Answer Key) के अंतर्गत अंतिम तिथि तक विधिवत् आपत्ति दर्ज की गयी हो।

(3) आयोग की बेवसाइट पर प्रकाशित औपबंधिक उत्तर कुंजी में से किसी प्रश्न के उत्तर विकल्प में परिवर्तन किया गया हो या संशोधित उत्तर कुंजी में किसी प्रश्न का विलोपन (Delete) किया गया हो, उसके संबंध में कोई भी अभ्यर्थी प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।

(4) उक्त के अतिरिक्त औपबंधिक उत्तर कुंजी में जिन प्रश्न/उत्तर विकल्प में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, उन प्रश्नों/उत्तर विकल्प के संबंध में कोई प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5)अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णित शर्तो के अधीन संशोधित उत्तर कुंजी (Amended Answer Key) के सापेक्ष यदि कोई प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो इस संबंध में **प्रमाणिक पुस्तकों** के साक्ष्यों को संलग्न करते हुये प्रत्यावेदन गोपन अनुभाग–3 की ई–मेल आई0डी0 **Objectiongopan03@gmail.com** पर निर्धारित अंतिम तिथि व समय तक प्रेषित कर सकते है। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात् प्राप्त होने वाले प्रत्यावेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

तद्नुसार संशोधित उत्तरकुँजी के सापेक्ष प्राप्त प्रत्यावेदनों के निस्तारण किये जाने के उपरान्त निर्मित उत्तरकुंजी के आधार पर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन कर परीक्षा परिणाम घोषित किया जायेगा।

(5) **प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है।**

(6) **अँगूठे का निशान (Thumb Impression)**– सभी अभ्यर्थी परीक्षा कक्ष में अपनी परीक्षा की उत्तर पुस्तिका के निर्धारित स्थान पर अपने अँगूठे का निशान (**पुरुष** अभ्यर्थी की दशा में **बायें अँगूठे** का निशान तथा **महिला** अभ्यर्थी की दशा में **दायें अँगूठे** का निशान) अवश्य अंकित करेंगे।

(7) प्रारम्भिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों के सापेक्ष नियमानुसार अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा हेतु सफल घोषित किया जायेगा। अंतिम चयन परिणाम मुख्य परीक्षा में प्राप्त अंकों की मैरिट के आधार पर घोषित किया जायेगा। प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रदान की जायेगी।

(ग) मुख्य परीक्षा हेतु निर्देश :–

(1) **प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को निम्नलिखित अभिलेख (परिशिष्ट–8) आयोग कार्यालय द्वारा मांगे जाने पर निर्धारित तिथि को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा–**

(क) ऑनलाइन आवेदन पत्र के स्वहस्ताक्षरित प्रिंटआउट प्रति के साथ शैक्षिक अर्हता से सम्बन्धित समस्त अंकतालिका, समस्त प्रमाण–पत्र/उपाधि व अनापत्ति प्रमाणपत्र (यदि लागू हो) व अधिमानी अर्हता (यदि लागू हो), अनुभव प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), एवं दावित आरक्षण श्रेणी/उपश्रेणी से सम्बन्धित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित फोटो प्रतियाँ तथा आयु के प्रमाण हेतु हायर सैकेन्ड्री/हाईस्कूल का प्रमाण–पत्र तथा ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र की प्रिंटआउट प्रति।

(ख) आरक्षण के दावे की पुष्टि के लिए जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/नगर मजिस्ट्रेट/एस.डी.एम./तहसीलदार द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के निर्धारित प्रपत्र पर जारी जाति प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। **शासनादेश संख्या–310/XVII-2/16-02(OBC)/2012, दिनांक** 26.02.2016 द्वारा उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र की वैधता, निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक है। अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत उत्तराखण्ड सरकार के सेवाओं हेतु **अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिये।**

(ग) अभ्यर्थी द्वारा उर्ध्वाधर/क्षैतिज आरक्षण एवं अधिकतम आयु/शुल्क में छूट की प्राप्ति हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत प्रमाण पत्र एवं अधिवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, जो ऑनलाइन आवेदन किये जाने की अन्तिम तिथि के पूर्व जारी हुआ हो।

(2) प्रारम्भिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा हेतु सफल अभ्यर्थियों से आयोग के निर्देशानुसार मुख्य परीक्षा हेतु निर्धारित ऑनलाइन परीक्षा शुल्क प्राप्त किया जायेगा। आयोग द्वारा निर्धारित तिथि तक परीक्षा शुल्क जमा न करने वाले अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) **अभ्यर्थी ध्यान रखें कि आवेदन–पत्र/प्रमाण–पत्रों इत्यादि की सन्निरीक्षा के दौरान यदि अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में अर्हता के सम्बन्ध में किये गये दावों के सापेक्ष प्रस्तुत प्रमाण पत्रों/अभिलेखों में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो अभ्यर्थी को सन्निरीक्षा मार्गदर्शिका–2022 समय–समय पर यथा संशोधित में उल्लिखित शर्तानुसार अनर्ह अभ्यर्थियों की श्रेणी में रखा जायेगा।** अनर्ह अभ्यर्थियों की सूचना आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी। उक्त हेतु सूचना डाक द्वारा प्रेषित नहीं की जायेगी। इस सम्बन्ध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति राज्य के 02 हिन्दी दैनिक एवं 01 अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्रों में एवं आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित की जायेगी।

(4) **अभ्यर्थियों के हाईस्कूल प्रमाण पत्र/अंक तालिका में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी।** अभ्यर्थी को मुख्य परीक्षा के आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल अथवा समकक्ष परीक्षा का प्रमाण पत्र/अंक तालिका संलग्न करना अनिवार्य होगा। जन्मतिथि हेतु उक्त प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अन्य कोई अभिलेख मान्य नहीं होगा तथा उक्त प्रमाण पत्र संलग्न न किए जाने पर आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

(5) प्रश्नगत विज्ञापन में एक से अधिक पद विज्ञापित किये गये हैं। उक्त पदों पर चयन हेतु प्रारम्भिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा से पूर्व ऑनलाइन वरीयता प्रपत्र में पदवार वरीयता का अंकन करना आवश्यक है।

(6) यदि किसी अभ्यर्थी के पास नकल करने की कोई सामग्री पकड़ी जाती है तो अभ्यर्थी को उस परीक्षा विशेष से तथा आयोग की आगामी समस्त परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) तथा चयन (Selection) से वंचित (Disqualify) किया जा सकता है, चाहे उक्त सामग्री का प्रयोग नकल करने में किया गया हो अथवा नहीं।

(7) अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका के आवरण पृष्ठ पर केवल निर्धारित स्थान पर ही अनुक्रमांक लिखेगें। प्रश्नोत्तर में, यदि नाम या पता लिखना जरूरी हो तो नाम के लिए XYZ अथवा '**अबस**' एवं पता के स्थान पर ABC अथवा '**कखग**' लिखेगें। प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कोई असंगत, अप्रासंगिक तथा अवांछनीय बात लिखने पर आयोग अपने विवेकानुसार अभ्यर्थी को दण्डित कर सकता हैं।

(8) प्रश्न–पत्र दिये गये निर्देशों के अनुसार ही हल करें। यदि निर्धारित संख्या से अधिक प्रश्न हल किये जाते हैं तो प्रारम्भ से लेकर निर्धारित संख्या तक कुल हल किये गये प्रश्नों का ही मूल्यांकन किया जायेगा और शेष उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यदि किसी प्रश्नोत्तर को आपके द्वारा काटा जाता है तो काटने के बाद उसके नीचे यह अवश्य लिखा जाए कि उत्तर अभ्यर्थी द्वारा स्वयं काटा गया है और उसका मूल्यांकन न किया जाए।

(9) प्रत्येक सत्र की परीक्षा समाप्ति पर अभ्यर्थी तब तक अपने स्थान पर बैठे रहेंगे जब तक उनकी उत्तर पुस्तिका कक्ष निरीक्षक द्वारा जमा न कर ली जाय। परीक्षा समय समाप्ति के पश्चात कोई भी अभ्यर्थी उत्तर लिखने का प्रयास नहीं करेगा।

(10) अभ्यर्थी प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी में या हिन्दी देवनागरी लिपि में लिख सकते हैं, परन्तु भाषा के प्रश्न पत्र का उत्तर उसी भाषा में दिया जाना आवश्यक है। किसी एक ही प्रश्न–पत्र के कुछ प्रश्नों के उत्तर अंग्रेजी और कुछ का हिन्दी में लिखना अथवा एक ही प्रश्न का उत्तर अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों में लिखना वर्जित है, अर्थात प्रश्न पत्र का सम्पूर्ण रूप में, उपर्युक्त में से किसी एक भाषा में उत्तर देना आवश्यक है। आवश्यकतानुसार प्राविधिक शब्दों का प्रयोग अंग्रेजी में किया जा सकता है। मिश्रित भाषा में उत्तर देने पर अंकों में कटौती की जा सकती है।

(11) मुख्य परीक्षा के अन्तर्गत **वैकल्पिक विषय यथा–अभियांत्रिकी (कृषि अभियांत्रिकी/रसायन अभियांत्रिकी /सिविल अभियांत्रिकी/ इलैक्ट्रिकल अभियांत्रिकी/इलैक्ट्रॉनिक्स अभियांत्रिकी/ मैकेनिकल अभियांत्रिकी /गणित/सांख्यिकी के परम्परागत प्रकार (वर्णनात्मक) के प्रश्न पत्रों में नॉन–प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर का प्रयोग, प्रश्न पत्र के निर्देशों के अधीन अनुमन्य है।** यह भी ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective type) के प्रश्न–पत्रों में कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

(12) **मुख्य परीक्षा परिणाम में स्केलिंग पद्वति नहीं अपनाई जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा अपने मूल अंक के आधार पर ही परीक्षा/चयन परिणाम तैयार किया जाएगा।**

(13) उत्तर लिखने में अनुदेशों का उल्लंघन करने पर दण्डस्वरूप निम्नानुसार कार्यवाही की जायगी–

(i) पेन्सिल से लिखे गये उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जायेगा।

(ii) मिश्रित भाषा का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 5 प्रतिशत अंक की कटौती की जायेगी।

(iii) प्रश्न–उत्तर पुस्तिका में असंगत/धार्मिक चिह्न/आपत्तिजनक शब्दावली का प्रयोग करने पर 01 अंक की कटौती की जायेगी।

(iv) प्रश्न–उत्तर पुस्तिका में निर्धारित स्थान के अतिरिक्त अन्य स्थान पर एक या अनेक बार अनुक्रमांक अथवा नाम लिखने पर 02 अंकों की कटौती की जायेगी।

(v) प्रश्न–उत्तर पुस्तिका में नाम और अनुक्रमांक दोनों एक साथ एक बार या अनेक बार लिखने पर 03 अंकों की कटौती की जायेगी।

(vi) प्रश्न–उत्तर पुस्तिका में अप्रासंगिक बातें लिखने तथा अनुक्रमांक और नाम तीनों एक साथ लिखने पर 04 अंकों की कटौती की जायेगी।

(vii) प्रश्न–उत्तर पुस्तिका में परीक्षक से अपील/अनुरोध करने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(viii) प्रश्न–उत्तर पुस्तिका में असंगत/अप्रासंगिक बाते लिखने तथा अनुक्रमांक एवं नाम और परीक्षक से अपील (अनुरोध/अनुनय/अभ्यर्थना) करने सहित चारों को एक साथ, एक या अनेक बार लिखने पर 05 अंक की कटौती की जायेगी।

(ix) प्रश्न के उत्तर के रूप में पत्र लेखन में नाम के स्थान पर XYZ या **'अबस'** एवं पते के स्थान पर ABC या **'कखग'** के अलावा काल्पनिक अथवा वास्तविक नाम एवं पता लिखने पर 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(x) उत्तर लिखने में नीली अथवा काली स्याही के अतिरिक्त अन्य रंग की स्याही का प्रयोग करने पर प्रति प्रश्न 02 अंक की कटौती की जायेगी।

(घ) साक्षात्कार परीक्षा हेतु निर्देशः–

(1) मुख्य/लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा तथा साक्षात्कार के समय अभ्यर्थियों द्वारा साक्षात्कार हेतु निर्धारित शुल्क जमा किया जायेगा।

(2) साक्षात्कार हेतु सफल अभ्यर्थियों को पदवार ऑनलाइन वरीयता भरकर ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों से संबंधित शैक्षणिक/आरक्षण/अनुभव/विभागीय अनापत्ति प्रमाण पत्र इत्यादि के प्रमाण पत्र संलग्न कर अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार तिथि को आयोग के अधिकारियों के समक्ष परीक्षण के लिए प्रस्तुत करें। अभ्यर्थी उक्त आवेदन पत्र एवं अन्य प्रपत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। इस संबंध में विज्ञप्ति प्रकाशित कर अभ्यर्थियों को सूचित किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी की अर्हता के संबंध में प्रस्तुत दावे में कोई कमी या असत्यता पायी जाती है तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

(3) मूल प्रमाण पत्र के सत्यापन के समय ही अभ्यर्थी को स्व–प्रमाणित पासपोर्ट आकार के दो फोटोग्राफ भी प्रस्तुत करने होंगे।

(4) **केन्द्र अथवा राज्य सरकार के अधीन अथवा उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को प्रमाण पत्रों के सत्यापन के समय अपने सेवा नियोजक द्वारा प्रदत्त 'अनापत्ति प्रमाण पत्र' मूल रूप में अथवा स्वप्रमाणित छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी।**

(5) **पद का आवंटन प्रवीणता सूची, सेवा नियमावली, आयु, श्रेणी–उपश्रेणीवार तथा अभ्यर्थी द्वारा दी गयी ऑनलाइन वरीयता के आधार पर किया जायेगा। प्रश्नगत चयन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन प्रपत्र में दी गयी वरीयता में से एक ही पद के सापेक्ष चयन किया जायेगा, अर्थात् किसी अभ्यर्थी के एक पद पर चयन होने के पश्चात अन्य पदों हेतु उस अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जायेगा।**

(6) लिखित परीक्षा (मुख्य परीक्षा) एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंको के अनुसार निर्मित **प्रवीणता एवं वरीयता** के आधार पर श्रेणीवार/उपश्रेणीवार रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप अंतिम चयन परिणाम में अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा परिणाम आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जायेगा, जिसकी सूचना विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।

(7) **शासनादेश सं0–1/160592, दिनांकः 10.10.2023 के नियम 6(5) में उल्लिखित प्राविधानानुसार संयुक्त परीक्षा आयोजित होने के कारण सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी पद हेतु 25 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतीक्षा सूची तैयार नहीं की जायेगी।**

(8) आयोग द्वारा प्रश्नगत पदों का चयन परिणाम, विज्ञापित पदों हेतु विहित संगत सेवा नियमावली के प्राविधानों एवं उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 (समय–समय पर यथा संशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुसार तथा अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में पद के सापेक्ष दी गयी वरीयता के आधार पर तैयार किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन में किये गये दावों की पुष्टि हेतु मूल शैक्षणिक एवं अन्य अभिलेखों से मिलान कर सत्यापन के पश्चात ही चयन संस्तुति शासन को प्रेषित की जायेगी।

18. सामान्य निर्देशः–

(1) अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि पूर्णतया संतुष्ट हो जाने के पश्चात् कि वे विज्ञापन/परीक्षा की सभी शर्तों को पूरा करते हैं, आवेदन करें और परीक्षा में बैठें।

(2) आयोग अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता के सम्बन्ध में कोई परामर्श नहीं देता है। इसलिये अभ्यर्थी विज्ञापन का सावधानीपूर्वक अध्ययन करें और तभी आवेदन करें जब वे संतुष्ट हों कि वे विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अर्ह हैं।

(3) **यदि प्रश्न–पत्र के किसी प्रश्नांश में प्रत्यक्ष त्रुटि, अस्पष्टता या विसंगति अथवा अंग्रेजी और हिन्दी अनुवाद में विसंगति है, तो ऐसी दशा में अंग्रेजी अनुवाद को मानक माना जाएगा।**

(4) अधिवयस्क, अल्पवयस्क तथा शैक्षिक अर्हता के आधार पर अनर्ह होने अथवा नियमों, प्रक्रिया आदि के उल्लघंन के कारण अस्वीकृत किये जाने वाले आवेदन–पत्रों के मामलों में कोई शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।

(5) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र ऑनलाइन आवेदन करने/प्रवेश पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नहीं होगा कि उसका अभ्यर्थन आयोग द्वारा अन्तिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नहीं था, उस दशा में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा और यदि वह अन्तिम रूप से चयनित भी कर लिया जाता है तो भी अभ्यर्थी की संस्तुति वापस ले ली जाएगी।

(6) अभ्यर्थी द्वारा मूल आवेदन पत्र में दर्शाये गए विवरण में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(7) अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपने आवेदन पत्र, उपस्थिति सूची आदि में तथा आयोग के साथ समस्त पत्राचार में सभी स्थानों पर उनके द्वारा किए गए हस्ताक्षर में समानता होनी चाहिए और उनमें किसी भी प्रकार की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न स्थानों पर किए गए हस्ताक्षरों में यदि कोई भिन्नता पायी जाती है तो आयोग उसके अभ्यर्थन को रद्द कर सकता है।

(8) जो अभ्यर्थी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार पात्र नहीं पाये जाएंगे उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा में प्रवेश हेतु उनका कोई दावा मान्य नहीं होगा। **अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन/अर्हता/पात्रता के सम्बन्ध में मा0 आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।**

(9) केन्द्र अथवा राज्य सरकार/लोक प्रतिष्ठान के अधीन कार्यरत अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के पूर्व विभागीय अनापत्ति प्रमाण–पत्र हेतु अपने सेवा नियोजक को सूचित करना अनिवार्य है तथा चयन प्रक्रिया में आयोग द्वारा यथासमय मांगे जाने पर अभ्यर्थी को सेवा नियोजक द्वारा निर्गत **''अनापत्ति प्रमाण–पत्र''** प्रस्तुत करना होगा।

(10) यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित शुल्क जमा नहीं करता है अथवा निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है तो उसका आवेदन पत्र/अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा। जमा किया गया शुल्क किसी भी दशा में वापस नहीं किया जायेगा।

(11) परीक्षा में अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने होंगे। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019-30(5)/2014**,** दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा अनुमोदित "दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश" **(परिशिष्ट–5)** के अनुसार श्रुत लेखक की व्यवस्था अनुमन्य होगी। 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में दिशानिर्देश **(परिशिष्ट–6)** पर उपलब्ध हैं।

(12) आयोग से किए जाने वाले सभी प्रकार के पत्राचार में अभ्यर्थियों द्वारा अपने नाम के साथ विज्ञापित पद/परीक्षा का नाम, विज्ञापन संख्या, अभ्यर्थी की जन्मतिथि, पिता/पति का नाम, रजिस्ट्रेशन सं0 तथा अनुक्रमांक (यदि सूचित किया गया हो) का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए।

(13) अभ्यर्थियों को प्रवेश–पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे अपितु ऑनलाइन प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट पर जारी किये जायेंगें। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन के रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश–पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकेगें। इस संबंध में अभ्यर्थियों के सूचनार्थ विज्ञप्ति राज्य के प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों एवं आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in पर भी प्रसारित की जायेगी।

(14) उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग के निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी को अपने आवेदन पत्र में गलत तथ्यों को जिनकी प्रमाण–पत्र के आधार पर पुष्टि नहीं की जा सकती, देने पर आयोग की आगामी समस्त परीक्षाओं के लिए प्रतिवारित (Debar) किया जा सकता है और उसके विरूद्ध आपराधिक दण्डात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है।

(15) परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण के प्रयोग की अनुमति नहीं है। यदि वे इन अनुदेशों का उल्लंघन करते पाए जाते है तो उन पर लोक सेवा आयोग द्वारा भविष्य में आयोजित की जाने वाली इस अथवा सभी परीक्षाओं में बैठने पर रोक सहित अन्य कार्यवाही की जा सकती है। अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा स्थल पर फोटो कैमरा, मोबाइल फोन, पेजर, स्कैनर पैन, घड़ी अथवा किसी अन्य प्रकार के संचार यंत्र अथवा किसी अन्य इलैक्ट्रोनिक उपकरण सहित किसी प्रकार की प्रतिबन्धित सामग्री न लाएं। **प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकृति) में कैलकुलेटर या किसी भी प्रकार के गणना संबंधी उपकरण का प्रयोग वर्जित है, परन्तु मुख्य परीक्षा में अभियांत्रिकी विषय, गणित एवं सांख्यिकी के परम्परागत प्रकार (वर्णनात्मक) के प्रश्न पत्रों में नॉन–प्रोग्रामेबल किस्म के सरल बैटरी चालित पाकेट कैलकुलेटर का प्रयोग, प्रश्न पत्र के निर्देशों के अधीन अनुमन्य है।** यह भी ध्यान दिया जाना महत्वपूर्ण है कि वस्तुनिष्ठ प्रकार (Objective type) के प्रश्न–पत्रों में कैलकुलेटर का प्रयोग अनुमन्य नहीं है।

(16) **अनुचित साधन सख्ती से प्रतिबन्धितः** कोई भी अभ्यर्थी प्रारम्भिक/मुख्य परीक्षा में किसी भी अन्य अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से न तो नकल करेगा, न ही नकल करवायेगा और न ही किसी अन्य तरह की अनुचित सहायता देगा, न ही सहायता देने का प्रयास करेगा, न ही सहायता प्राप्त करेगा और न ही प्राप्त करने का प्रयास करेगा। साथ ही सुसंगत विधि के अंतर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है। अभ्यर्थी द्वारा प्रवेश पत्र पर पृथक से कुछ भी लिखना/लिखा होना भी अनुचित साधन की श्रेणी में आयेगा।

(17) **कदाचार के दोषी** पाये गए अभ्यर्थियों के विरूद्ध **Uttarkhand Public Service Commission (Procedure and Conduct of Business) Rules– 2013 (प्रथम संशोधन 2016)** के प्राविधानानुसार कार्यवाही की जाएगी।

(18) **कदाचार के दोषी पाये गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्यवाहीः** अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि आवेदन करते समय न तो कोई झूठे विवरण प्रस्तुत करें और न ही किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उन्हें यह भी चेतावनी दी जाती है कि वे अपने द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रति की किसी प्रविष्टि में कोई शोधन या परिवर्तन या अन्यथा फेरबदल नहीं करें तथा न ही वे फेरबदल किया गया/जाली प्रलेख प्रस्तुत करें। यदि दो या दो से अधिक दस्तावेजों के बीच अथवा उनकी अनुप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई असंगति या विसंगति हो तो इस विसंगति के बारे में अभ्यर्थी को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

(19) **परीक्षा भवन में आचरण** : परीक्षा केन्द्र/कक्ष में अभ्यर्थी न तो किसी के साथ दुर्व्यवहार करेंगे और न ही अव्यवस्था फैलायेंगे तथा परीक्षा के संचालन हेतु आयोग द्वारा तैनात स्टॉफ को अनावश्यक परेशान भी नही करेंगे। ऐसे किसी भी दुराचरण के लिए आयोग की आगामी परीक्षाओं से प्रतिवारित (Debar) एवं अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

(20) अभ्यर्थी को निम्नलिखित कारणों से आयोग द्वारा दोषी घोषित किया जायेगाः 1. अग्रलिखित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया गया है, अर्थात (क) गैर कानूनी रूप से परितोषण की पेशकश करना, (ख) अनुचित दबाव डालना, या (ग) परीक्षा आयोजित करने से संबंधित किसी भी व्यक्ति को ब्लैकमेल करना अथवा उसे ब्लैकमेल करने की धमकी देना, अथवा 2. नाम बदलकर परीक्षा दी है, अथवा अनुचित लाभ प्राप्त करने के आशय से ओ0एम0आर0 उत्तर प्रत्रक/उत्तर पुस्तिका में अनुक्रमांक गलत भरा हो अथवा 3. प्रतिरूपण द्वारा छल करते हुए अन्य व्यक्ति से परीक्षा दिलायी हो कूट–रचित प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा भवन में प्रवेश किया हो, अथवा 4. जाली प्रमाण पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए है, जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा/फेरबदल किया गया हो, अथवा 5. गलत या झूठे वक्तव्य दिए है या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा 6. परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के संबंध में निम्नलिखित साधनों का उपयोग किया है, (क) गलत तरीके से प्रश्न पत्र की प्रति प्राप्त करना (ख) परीक्षा से संबंधित गोपनीय कार्य से जुड़े व्यक्ति के बारे में कोई जानकारी प्राप्त करना, (ग) परीक्षकों को प्रभावित करना, या 7. परीक्षा के समय अनुचित साधनों का प्रयोग किया हो, या 8. उत्तर पुस्तिकाओं पर असंगत बातें लिखना, जो अश्लील भाषा में या अभद्र आशय की हो या अश्लील या भद्दे रेखाचित्र बनाना, अथवा 9. परीक्षा भवन में दुर्व्यवहार करना, जिनमें उत्तर पुस्तिकाओं का फाड़ना, उत्तर पुस्तिकाओं को परीक्षा कक्ष से लेकर भाग जाना, प्रश्नपत्र/उत्तर पुस्तिका या उसके किसी पृष्ठ को परीक्षा अवधि में परीक्षा कक्ष से बाहर ले जाना, परीक्षा देने वालों को परीक्षा का बहिष्कार करने के लिए उकसाना अथवा अव्यवस्था तथा ऐसे ही अन्य स्थिति पैदा करना शामिल है, अथवा 10. परीक्षा संचालन के लिए आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुँचायी हो, या 11. परीक्षा हॉल/साक्षात्कार कक्ष में परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन/पेजर या आयोग द्वारा वर्जित अन्य किसी प्रकार का इलैक्ट्रानिक उपकरण या यन्त्र अथवा संचार यन्त्र के रूप में प्रयोग किये जा सकने वाला कोई अन्य उपकरण प्रयोग करते हुए या अपने पास रखे पाया गया हो, या 12. परीक्षा की अनुमति देते हुए अभ्यर्थियों को भेजे गये प्रमाणपत्रों के साथ जारी अनुदेशों का उल्लंघन किया हैं, अथवा 13. उपर्युक्त खंडो में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य को करने का प्रयत्न किया हो या करने की प्रेरणा दी हो, जैसी भी स्थिति हो, उन पर आपराधिक अभियोग चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे (क) आयोग द्वारा किसी अभ्यर्थी को उस परीक्षा के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है जिसमें वह बैठ रहा है, और/अथवा (ख) उसे स्थायी रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए (i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए विवर्जित किया जा सकता है (ii) राज्य सरकार द्वारा उसके अधीन किसी भी नौकरी से प्रतिवारित किया जा सकता है। (ग) यदि वह सरकार के अधीन पहले से ही सेवा में है तो उसके विरुद्ध उपयुक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है।

(21) **न्यूनतम अर्हक अंकः उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग परीक्षा परिणाम निर्माण प्रकिया विनियमावली–2022 समय–समय पर यथा संशोधित विनियमावली** के प्रावधानों के अनुसार प्रश्नगत परीक्षा के विभिन्न प्रश्न–पत्रों/विषयों/चरणों में अभ्यर्थियों को नियमावली द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। न्यूनतम अर्हक अंक धारित करने वाले अभ्यर्थियों को ही प्रवीणता के आधार पर अगले चरण हेतु सफल घोषित किया जायेगा। परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु **निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (परिशिष्ट–03)** में उल्लिखित हैं।

(22) **मुख्य परीक्षा परिणाम में स्केलिंग पद्वति नहीं अपनाई जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा अपने मूल अंक के आधार पर ही परीक्षा/चयन परिणाम तैयार किया जाएगा।**

(23) आवेदित पद पर अन्तिम रूप से चयनित हो जाने के बाद भी अभ्यर्थी को नियुक्ति का कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता है जब तक कि शासन को ऐसी जांच करने के पश्चात् जैसा आवश्यक समझा जाय, यह समाधान न हो जाये कि वह नियुक्ति के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(24) नियुक्ति हेतु चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति से पूर्व नियमानुसार अपेक्षित स्वास्थ्य परीक्षण कराना होगा। यह कार्यवाही नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित नियुक्ति अधिकारी/प्राधिकारी द्वारा पृथक से की जाएगी।

(25) अभ्यर्थियों को परीक्षा से सम्बन्धित समस्त सूचनाएं वेबसाइट के माध्यम से अवगत करायी जायेगी। अतः अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट psc.uk.gov.in का समय–समय पर अवलोकन करना सुनिश्चित करें।

(गिरधारी सिंह रावत)
सचिव।

परिशिष्ट–1

सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025 हेतु पाठ्यक्रम

प्रारम्भिक परीक्षा

परीक्षा योजना

क्र0 सं0	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	समय अवधि
1	सामान्य अध्ययन एवं सामान्य बुद्धिमत्ता परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार)	150	150	02 घण्टे

मुख्य (लिखित) परीक्षा

परीक्षा योजना

क्र0सं0	विषय	अधिकतम अंक	समय अवधि
1	प्रथम अनिवार्य प्रश्नपत्र सामान्य हिन्दी	100	03 घण्टे
2	द्वितीय अनिवार्य प्रश्नपत्र सामान्य अंग्रेजी	100	03 घण्टे
3	तृतीय अनिवार्य प्रश्नपत्र सामान्य ज्ञान	100	03 घण्टे
4	प्रथम वैकल्पिक विषय	200	03 घण्टे
5	द्वितीय वैकल्पिक विषय	200	03 घण्टे
6	साक्षात्कार	75	
कुल अंक		**775**	

नोट– सामान्य हिन्दी प्रश्नपत्र में न्यूनतम 35 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

APPENDIX-1

Syllabus for Assistant Conservator of Forest, Logging Officer and Forest Range Officer Combined Examination-2025

Preliminary Examination

Exam Plan

Sl. No.	Subject	No. of Questions	Maximum Marks	Time duration
1	General Studies and General Aptitude Test (Objective Type)	150	150	02 Hours

Main (Written) Examination

Exam Plan

Sl. No.	Subject	Maximum Marks	Time duration
1	First Compulsory Paper General Hindi	100	03 Hours
2	Second Compulsory Paper General English	100	03 Hours
3	Third Compulsory Paper General Knowledge	100	03 Hours
4	First Optional Subject	200	03 Hours
5	Second Optional Subject	200	03 Hours
6	Interview	75	
Total Marks		**775**	

Note : It is essential to obtain a minimum of 35% marks in Hindi Language paper.

प्रारम्भिक परीक्षा (वस्तुनिष्ठ प्रकार) का पाठ्यक्रम

सामान्य अध्ययन एवं सामान्य अभिरूचि परीक्षा

समयावधि : 02 घण्टे   कुल प्रश्नों की संख्या : 150   अधिकतम अंक : 150

भाग – 1
सामान्य अध्ययन

प्रश्नों की संख्या : 100   अंक : 100

1. राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की सम–सामयिक घटनाएं
2. खेलकूद एवं मनोरंजन
3. भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन एवं समकालीन भारतीय इतिहास
4. भारत एवं विश्व का भूगोल
5. प्राकृतिक संसाधन, नियोजन, अर्थव्यवस्था एवं कृषि, सतत् एवं समावेशी विकास
6. प्राकृतिक आपदाएं एवं आपदा प्रबन्धन
7. भारत में मानव संसाधन विकास सूचकांक एवं सामाजिक विकास सूचकांक
8. भारतीय संविधान, राजनीतिक प्रणाली, शासन एवं प्रशासन
9. अधिकारों से संबंधित मुद्दे
10. सामान्य विज्ञान
11. विकास एवं पर्यावरण संबंधी समस्याएं
12. जैव–प्रौद्योगिकी एवं स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे
13. विज्ञान एवं प्राद्योगिकी, सूचना, संचार, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, कम्प्यूटर इत्यादि
14. ऊर्जा एवं जल संसाधन
15. उत्तराखण्ड राज्य संबंधी सामान्य ज्ञान–सामान्य भूगोल, इतिहास, संस्कृति एवं उत्तराखण्ड राज्य निर्माण आंदोलन इत्यादि, प्राकृतिक एवं आर्थिक संसाधन, राजनीतिक व प्रशासनिक व्यवस्था, शिक्षा एवं संस्कृति, समाज सुधार आंदोलन, आर्थिक विकास, सरकारी एवं गैर–सरकारी कल्याणकारी एवं विकासपरक योजनाएं, महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं, खेल कूद एवं मनोरंजन।

भाग–2 सामान्य अभिरूचि परीक्षा

प्रश्नों की संख्या : 50   अंक : 50

शाब्दिक, अशाब्दिक एवं विश्लेषणात्मक प्रश्न जिसमें सादृश्यों, निगमनिक तर्क, समानताओं तथा अंतरों, अविद्यमान अंक, वर्ण एवं अनुक्रम, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय लेना, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, दिशाबोध, कूटबद्ध– कूटानुवाद, अंकगणितीय तर्क, शाब्दिक एवं चित्रात्मक वर्गीकरण, आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण एवं विश्लेषण एवं अंकगणितीय संख्या सारणी आदि से सम्बन्धित प्रश्न सम्मिलित होंगे। इसमें अभ्यर्थी की सामान्य विचार, तथ्य और अंकों, संकेतों और उनमे संबंध, अंकगणितीय एवं संख्यात्मक गणना तथा अन्य विश्लेषणात्मक, गणितीय एवं परिमाणात्मक कार्यों से संबंधित योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न भी पूछे जाएंगे।

Syllabus of Preliminary Examination (Objective Type)

General Studies and General Aptitude Test

Time - 02 Hours **Total Number Of Questions - 150** **MM: 150**

Part- I
General Studies

Total Number Of Questions - 100 **100 Marks**

1. Current events of National and International importance
2. Sports and Entertainment
3. Indian History , Indian National Freedom Movement and Contemporary History of India
4. Geography of India and The World
5. Natural Resources, Planning, Economy and Agriculture, Sustainable and Inclusive Development
6. Natural Calamities and Disaster Management
7. Human Resource Development Index in India and Social Development Index
8. Indian Constitution, Political System, Governance and Administration
9. Rights related issues
10. General Science
11. Development and Environmental Problems
12. Biotechnology and Health Related Issues
13. Science and Technology, Information, Communication, Space Technology, Computers etc.
14. Energy and Water Resources
15. General Knowledge related to the State of Uttarakhand - General Geography, History, Culture and Uttarakhand Rajya Nirman Andolan etc., Natural and Economic Resources, Political and Administrative Set up, Education and Culture, Social Reform Movements, Economic Development, Governmental and Non-Governmental welfare and developmental schemes, Important contemporary events., Sports and Entertainment.

Part- II

General Aptitude Test

Total Number Of Questions - 50 **50 Marks**

Questions of verbal, non-verbal and analytical types consisting of analogies, syllogism, similarities, differences, missing numbers, characters and sequences, space visualization, problem solving, analysis, decision making, visual memory, discrimination, observation, relationship concepts, direction sense, coding – decoding, arithmetical reasoning, verbal and figure classification, data representation and analysis, arithmetical number series. The test would also include questions designed to test the candidates' ability to deal with abstract ideas, facts and figures, symbols and their relationships, arithmetical and numerical computations and other analytical, mathematical and quantitative functions.

(नोटः– मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम को यथाशीघ्र आयोग की वेबसाइट पर प्रसारित किया जाएगा।)

परिशिष्ट–2

उत्तराखण्ड राज्य की आरक्षित श्रेणियों हेतु निर्धरित प्रमाण–पत्रों के प्रपत्र।
प्रमाण–पत्र का प्रारूप

परिशिष्ट–2(1)

उत्तराखण्ड की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिये जाति प्रपत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील .... नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड की ....जाति के व्यक्ति है, जिसे संविधन (अनुसूचित जाति) आदेश 1950 (जैसा कि समय–समय पर संशोध्ति हुआ) संविधन (अनुसूचित जनजाति उ0प्र0) आदेश 1967, जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/श्रीमती/कुमारी ....तथा अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम .... तहसील ....नगर ....जिला .... में सामान्यतया रहता है।

स्थान : हस्ताक्षर ....

दिनांक : पूरा नाम ....

मुहर : पदनाम ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–2(2)

उत्तराखण्ड के अन्य पिछड़े वर्ग के लिये जाति प्रमाण–पत्र
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी .... सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री श्री .... निवासी ग्राम .... तहसील ....नगर .... जिला .... उत्तराखण्ड के राज्य की .... पिछड़े जाति के व्यक्ति है। यह जाति उ0प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम,1994) जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में प्रभावी है, की अनुसूची–1 के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। उक्त अधिनियम–1994 की अनुसूची–2 से अधिसूचना संख्या–22/16/92–का–2/1995 टी.सी. दिनांक 08 दिसम्बर,1995 द्वारा यथा संशोधित से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी .... तथा/अथवा उनका परिवार उत्तराखण्ड के ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....में सामान्यतया रहता है।

स्थान :   हस्ताक्षर ....

दिनांक :   पूरा नाम ....
....

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी/अपर जिला मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट/
उप जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/जिला समाज कल्याण अधिकारी।

परिशिष्ट–2(3)

उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण–पत्र
शासनादेश संख्या 4/23/1982–2/1997, दिनांक 26 दिसम्बर,1997
(जैसा कि उ0प्र0 पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड में लागू है)
प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी ....सुपुत्र/पत्नी/ सुपुत्री .... निवासी ग्राम ....तहसील .... नगर .... जिला ....उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1993 जैसा कि उत्तराखण्ड राज्य में लागू है, के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/श्रीमती/कुमारी (आश्रित) .... पुत्रा/पुत्री/पौत्र/अविवाहित पौत्री उपयंकित अधिनियम, 1993 के ही प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/श्रीमती/(स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) के आश्रित है।

स्थान : हस्ताक्षर ....

दिनांक : पूरा नाम....................................

पदनाम ....

मुहर ....

जिलाधिकारी ....

(सील) ....

परिशिष्ट–2(4)

उत्तराखण्ड सरकार

(प्रमाण–पत्र निर्गत करने वाले कार्यालय का नाम व पता)

(अधिसूचना संख्याः–64/XXXVI(3)/2019/19(1)/2019 दिनांक 07 मार्च, 2019 के अधीन)

आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों के लिए आय एवं सम्पत्ति प्रमाण–पत्र

प्रमाण–पत्र संख्या.............................**वर्ष–2024–25 हेतु मान्य** दिनांक................

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी.. पुत्रा/पत्नी/पुत्री...ग्राम/मुहल्ला...पोस्ट ऑफिस................................. जिला...................................... पिन कोड............................उत्तराखण्ड राज्य के मूल निवासी/स्थायी निवासी हैं, जिनका नवीनतम फोटो नीचे प्रमाणित है। इनके परिवार की सभी स्त्रोतों से **वित्तीय वर्ष 2023–24** की औसत आय आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए निर्धरित मानक रू0 8.00 लाख (रूपये आठ लाख) से कम है और इनका परिवार निम्न में से कोई सम्पत्ति धरित नहीं करता हैः–

I. कृषि भूमि 5 एकड़ या उससे अधिक, या
II. आवासीय भवन 1000 वर्ग पुफट या उससे अधिक, या
III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अध्कि के आवासीय भूखण्ड, या
IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अध्कि के भूखण्ड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी.................................जो कि......................... जाति से हैं और भारत सरकार/उत्तराखण्ड सरकार की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में सम्मिलित नहीं है।

आवेदक की नवीनतम पासपोट साइज का प्रमाणित फोटो

हस्ताक्षर सहित कार्यालय की मुहर
नाम.....................
पदनाम........................

परिशिष्ट–2(5)

दिव्यांगजन प्रमाण–पत्र

संस्थान/अस्पताल का नाम और पता

प्रमाण पत्र संख्या – ....तारीख ....

निःशक्तता प्रमाण – पत्र

चिकित्सा बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा विध्वित प्रमाणित उम्मीदवार का हाल का पफोटो जो उम्मीदवार की निःशक्तता दर्शाता हो।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु0 ....
सुपुत्रा/पत्नी/सुपुत्राी ....आयु.. लिंग.............................
पहचान चिन्ह...निम्नलिखित श्रेणी की स्थायी निःशक्तता से ग्रस्त है।

क. गति विषयक (लोकोमोटर) अथवा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात (पफॉलिज)

(I) दोनों टांगे (बी एल) – दोनों पैर प्रभावित किन्तु हाथ प्रभावित नहीं
(II) दोनों बांहें (बी ए) – दोनों बांहें प्रभावित (क) दुर्बल पहुॅच (ख) कमजोर पकड़
(III) दोनों टांगे और बांहें (बी एल ए) – दोनों टांगें और दोनों बाहें प्रभावित
(IV) एक टांग (ओ एल) – एक टांग प्रभावित (दायां या बायां)

(क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(V) एक बांह (ओ ए) – एक बांह प्रभावित

(क) दुर्बल पहुॅच

(ख) कमजोर पकड़

(ग) गति विभ्रम (अटैक्सिस)

(VI) पीठ और नितम्ब (बी एच) – पीठ और नितम्ब में कड़ापन (बैठ और झुक नहीं सकते)
(VII) कमजोर मांस पेशियां (एम डब्लू) – मांस पेशियों में कमजोरी और सीमित शारीरिक सहनशक्ति।

ख. अंधपन अथवा अल्प दृष्टि –

(i) बी – अंध्ता
(ii) पी बी – ऑशिक रूप से अंध्ता

ग. कम सुनाई देना

(i) डी–बध्रि
(ii) पी डी – ऑशिक रूप से बध्रि

(उस श्रेणी को हटा दें जो लागू न हो)

2. यह स्थिति में प्रगामी है/गैर प्रगामी है/इसमें सुधर होने की सम्भावना है/सुधर होने की सम्भावना नहीं है। इस मामले का पुननिर्धरण किए जाने की अनुशंसा नहीं की जाती। ....वर्षों .... महीनों की अवध्‍ि के पश्चात पुननिर्धरण किए जाने की अनुशंसा की जाती है।'

3. उनके मामले में निशक्तता का प्रतिशत .... है।

4. श्री/श्रीमती/कुमारी अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शारीरिक अपेक्षाओं को पूरा करते/करती हैं:–

5. एपफ–अंगुलियों को चलाकर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

6. पी पी–ध्केलने और खींचने के जरिए कार्य कर सकते/सकती है।
हॉ/नहीं

7. एल–उठाने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

8. के सी–घुटनों के बल झुकन और दबक कर कार्य कर सकते/सकती हैं
हॉ/नहीं

9. बी–झुक कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

10. एस–बैठ कर कार्य कर सकते /सकती हैं।
हॉ/नहीं

11. एस टी–खड़े होकर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

12. डब्लू–चलते हुए कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

13. एस ई–देख कर कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

14. एच–सुनने/बोलने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

15. आर डब्लू–पढ़ने और लिखने के जरिए कार्य कर सकते/सकती हैं।
हॉ/नहीं

डा0.......................................)	(डा0......................................)	(डा0....................................)
सदस्य	सदस्य	सदस्य
चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड	चिकित्सा बोर्ड

चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी/
अस्पताल के मुखिया द्वारा प्रति

हस्ताक्षरित

(मुहर सहित)

*जो लागू न हो काट दें।

परिशिष्ट–2(6)

कुशल खिलाड़ी से सम्बन्धित अभिलेख/प्रमाण पत्र

क्र. स.	पदनाम	प्रतियोगिता का नाम	प्रतियोगिता का स्तर
1	2	3	4
1	सहायक वन संरक्षक एवं लौगिंग अधिकारी पद के लिए	ओलम्पिक खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग
2	वनक्षेत्राधिकारी पद के लिए	ओलम्पिक खेल/ विश्वकप/विश्व चैम्पियनशिप/एशियन खेल	पदक विजेता/प्रतिभाग

नोटः– 1. कुशल खिलाड़ी का आरक्षण अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता/प्रतिभाग करने वाले उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई निवासियों को ही अनुमन्य होगा।

2. कुशल खिलाड़ी के आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को स्तम्भ–3 में अंकित प्रतियोगिताओं में पदक विजेता/प्रतिभाग किये जाने सम्बन्धी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

परिशिष्ट–2(7)(i)

शासनादेश संख्या–139 / XX(8) / 24–27 (रा0आ0) / 2018, दिनांक 24.11.2024

प्रारूप–1

"उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023" के प्राविधानानुसार चिन्हित उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारियों को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री / सुश्री / श्रीमती... .... पुत्र / पुत्री / पत्नी, श्री .... निवासी.. .तहसील................................जिला.................... शासनादेश संख्या–777 / XX(4) / 26 / उ०आ० / 2006–08, दिनांक 22.10.2008, शासनादेश संख्या–178–2 / XX(4) / 26 / उ0मा0 / 06 / 09, दिनांक 28.02.2009, शासनादेश संख्या–1401 / बीस–4 / 2015–3(26) / 2006, दिनांक 25.02.2015, शासनादेश संख्या–1521 / बीस 4 / 2017–9(उ०रा०आ०) 2016, दिनांक 03.01.2017 एवं शासनादेश संख्या–1192 / बीस–4 / 2017– 3(13) / 2011, दिनांक 01.12.2017 में विहित चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी के रूप में चिन्हित होने के दृष्टिगत् "उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023" के प्राविधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण से आच्छादित होते हैं।

दिनांक........................

जिलाधिकारी

जनपद......................................

मोहर...

परिशिष्ट–2(7)(ii)

शासनादेश संख्या–139/XX(8)/24–27 (रा0आ0)/2018, दिनांक 24.11.2024

प्रारूप–2

"उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलन के चिन्हित आन्दोलनकारियों या उनके आश्रितों को राजकीय सेवा में आरक्षण अधिनियम, 2023" के प्राविधानानुसार राज्याधीन सेवाओं में चयन के समय चिन्हित आन्दोलनकारियों के आश्रितों यथा स्थिति पत्नी अथवा पति, पुत्र एवं पुत्री (जिसमें विवाहित विधवा, पति द्वारा परित्यक्त, तलाकशुदा पुत्री भी सम्मिलित है) को राज्याधीन सेवाओं में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ प्रदान किये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप।

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर श्री/सुश्री/श्रीमती... .... पुत्र/पुत्री/पत्नी, श्री .... निवासी.. .तहसील................................जिला................... शासनादेश संख्या–777/XX(4)/26/उ०आ०/2006–08, दिनांक 22.10.2008, शासनादेश संख्या–178–2/XX(4)/26/उ0मा0/06/09, दिनांक 28.02.2009, शासनादेश संख्या–1401/बीस–4/2015–3(26)/2006, दिनांक 25.02.2015, शासनादेश संख्या–1521/बीस 4/2017–9 (उ०रा०आ०) 2016, दिनांक 03.01.2017 एवं शासनादेश संख्या–1192/बीस–4/2017– 3(13)/2011, दिनांक 01.12.2017 में विहित चिन्हीकरण हेतु निर्धारित मानकों के अनुसार राज्य आन्दोलनकारी चिन्हित किये गये हैं तथा श्री/सुश्री/श्रीमती..... .... पुत्र/पुत्री/पत्नी/पति के रूप में उक्त संदर्भित राज्य आन्दोलनकारी के आश्रित हैं।

दिनांक.......................

जिलाधिकारी

जनपद.....................................

मोहर..

परिशिष्ट–03

सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी परीक्षा–2025 हेतु न्यूनतम अर्हकारी अंक **(Qualifying Marks)**

अनारक्षित वर्ग, उत्तराखण्ड अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, उत्तराखण्ड अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, उत्तराखण्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित, उत्तराखण्ड दिव्यांगजन, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक, उत्तराखण्ड अनाथ श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को प्रश्नगत परीक्षा हेतु उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, परीक्षा परिणाम निर्माण प्रक्रिया विनियमावली, 2022 समय–समय पर यथा संशोधित विनियमावली के द्वारा परीक्षा के विभिन्न चरणों हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, जिसका विवरण निम्नवत :–

क्र. सं.	आरक्षण की श्रेणी/उपश्रेणी	प्रारम्भिक परीक्षा का परिणाम तैयार किए जाने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)	मुख्य/लिखित परीक्षा का परिणाम तैयार किए जाने हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)	अन्तिम चयन परिणाम (सम्पूर्ण प्रवीणता सूची) तैयार किये जाने हेतु परीक्षा (लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार) हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक (प्रतिशत में)
1	सामान्य श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	35%	40%	45%
2	अन्य पिछड़ा वर्ग/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	30%	35%	40%
3	अनुसूचित जाति श्रेणी एवं सम्बन्धित उपश्रेणी	25%	30%	35%
4	पूर्व सैनिक	25%	30%	35%
5	दिव्यांगजन	20%	25%	30%

नोटः 1. सम्बन्धित श्रेणी/उपश्रेणी के अभ्यर्थियों को उक्तानुसार न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में) प्राप्त करने पर ही पदों की संख्या के आधार पर मेरिट के अनुसार प्रवीणता सूची हेतु विचारित किया जाएगा।

2. मुख्य परीक्षा के अन्तर्गत सामान्य हिन्दी के प्रश्नपत्र में 35 प्रतिशत अंक प्राप्त किया जाना अनिवार्य है।

3 मुख्य परीक्षा परिणाम में स्केलिंग पद्वति नहीं अपनाई जाएगी। अभ्यर्थियों द्वारा अपने मूल अंक के आधार पर ही परीक्षा/चयन परिणाम तैयार किया जाएगा।

<u>परिशिष्ट–4</u>

सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी प्रारम्भिक (वस्तुनिष्ठ प्रकार) परीक्षा–2025 हेतु अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन–पत्र के कॉलम में प्रारम्भिक परीक्षा के लिए निम्नांकित नगरों में से अपना विकल्प प्रस्तुत करें:–

S.No.	CITY	CITY CODE
01	Almora	01
02	Bageshwer	02
03	Champawat	03
04	Pithoragarh	04
05	Haldwani	05
06	Rudrapur	06
07	Pantnagar	07
08	Khatima	08
09	kashipur	09
10	Dehradun	10
11	Rishikesh	11
12	Haridwar	12
13	Roorkee	13
14	Pauri Garhwal	14
15	Kotdwar	15
16	Srinagar	16
17	Rudraprayag	17
18	Gopeshwer	18
19	Tehri Garhwal	19
20	Uttarkashi	20

नोट–1. आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा प्रस्तुत विकल्प के अनुसार आवेदित नगरों में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने का प्रयास करेगा, किन्तु अपरिहार्य परिस्थितियों में अभ्यर्थियों को उनके विकल्प से इतर अन्य नगर भी आवंटित किये जा सकते है। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

2. मुख्य परीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा का आयोजन हरिद्वार नगर में स्थित परीक्षा केन्द्रों पर किया जाएगा।

3. अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार प्रारम्भिक, मुख्य एवं शारीरिक मानक परीक्षा के नगरों की संख्या घटाई–बढ़ाई जा सकती है। केन्द्र निर्धारण के उपरान्त परीक्षा केन्द्र परिवर्तन के संबंध में किसी भी प्रकार के अनुरोध/प्रत्यावेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।

परिशिष्ट–05

शासनादेश संख्याः 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किए जाने के संबंध में मार्गदर्शिका सिद्वांत :–

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में Benchmark विकलांगता धारित अभ्यर्थी जो Blindness (अंधता), locomoter disability (Both arm affected-BA) (चलनक्रिया (दोनों हाथ प्रभावित)) तथा cerebral palsy (मस्तिष्क घात)से ग्रस्त हैं तथा इसके अतिरिक्त वे समस्त अभ्यर्थी, जो देश के किसी भी क्षेत्र में अवस्थित सक्षम स्वास्थ्य प्राधिकारी (मुख्य चिकित्साधिकारी/शल्य चिकित्सक/चिकित्सा अधीक्षक) द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–5(1)** प्रारूप में प्रमाण पत्र धारित करते हैं, को श्रुतलेखक की सुविधा प्रदान की जाएगी। अभ्यर्थी द्वारा उक्त का दावा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना होगा। परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–5(1)** की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–5(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

2. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि श्रुतलेखक की सुविधा आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध करायी जानी है अथवा अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी। यदि अभ्यर्थी द्वारा स्वयं श्रुतलेखक को लाने का दावा किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को परिशिष्ट–1 की प्रति, श्रुतलेखक से संबंधित **परिशिष्ट–5(2)** की प्रति एवं श्रुतलेखक की दो आवक्ष फोटो को आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

3. यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–5(1)** प्रमाण पत्र की प्रति आयोग कार्यालय में उपलब्ध करानी होगी तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पूर्व मिलवाया जाएगा तथा अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में परीक्षा भवन, उत्तराखण्ड लोक सेवा आयोग, हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता प्रश्नगत पद की अनिवार्य शैक्षिक योग्यता से एक स्तर कम होगी किंतु किसी भी दशा में हाईस्कूल से न्यून नहीं होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंतु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

5. दिव्यांग अभ्यर्थी की परीक्षा (प्रारंभिक/स्क्रीनिंग/लिखित) आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी प्रारूप पर नहीं ली जाएगी और न ही प्रश्नपत्र के प्रारूप में किसी प्रकार का संशोधन किया जाएगा।

6. कम्प्यूटर आधारित परीक्षाओं हेतु विकलांगता धारित अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से एक दिन पूर्व कम्प्यूटर सिस्टम के निरीक्षण की सुविधा दी जाएगी। आयोग द्वारा अभ्यर्थी को कम्प्यूटर परीक्षा हेतु स्वयं का केवल की–बोर्ड तथा माउस लाने की अनुमति दी जाएगी।

7. श्रुतलेखक की सुविधायुक्त दिव्यांग अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो कि 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. जिन परीक्षाओं में केलकुलेटर की सुविधा अनुमन्य होगी उन परीक्षाओं हेतु दिव्यांग अभ्यर्थियों को talking calculator की सुविधा प्रदान की जाएगी तथा श्रुतलेखक व अभ्यर्थी के मध्य संचार हेतु उपयोग में लाई जाने वाले उपकरण जैसे (trailor frame, Braille slate, abascus, geometry kit, communication devices etc.) भी परीक्षा हेतु अनुमन्य होंगे ;उपरोक्त सभी उपकरण अभ्यर्थी द्वारा स्वयं लाये जायेंगे)।

9. दिव्यांग अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र पर प्रत्येक दशा में भू–तल के निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

परिशिष्ट–05(1)

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs ………………….. (name of the candidate with disability), a person with ………………….. (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/D/o ………………….., a resident of ………………….. (Village/District/State) and to state that he/she has physical limition which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a Government Health care institution

(Name & Designation)

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal:

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (eg. Visual impairment- Ophthalmologist, Locomotor disability Orthopedic specialist/PMR)

परिशिष्ट–05 (2)

Letter of Undertaking for using own Scribe

I …………………., a candidate with ………………….(name of the disability) appearing for the ………………….(name of the examination) bearing Roll No. …………………. at ………………….(name of the centre) in the District …………………. (name of the State). My qualification is ………………….

I do hereby state that …………………. (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his qualification is …………………. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with disability)

Place:

Date:

परिशिष्ट–06

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(s) से आच्छादित किन्तु अधिनियम की धारा 2(r) से अवमुक्त अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता धारित ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें लिखने में कठिनाई है, को श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने हेतु दिशा निर्देश

1. आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली स्क्रीनिंग/प्रारंभिक/लिखित परीक्षा में श्रुतलेखक एव/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा लिखने में असमर्थ केवल ऐसे दिव्यांग अभ्यर्थियों को प्रदान की जाएगी जिनके द्वारा **परिशिष्ट–6(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर राजकीय चिकित्सालय के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदत्त इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाएगा कि अभ्यर्थी लिखने में असमर्थ है तथा अभ्यर्थी को परीक्षा हेतु श्रुतलेखक की आवश्यकता है।

2. श्रुतलेखक की अनुमन्यता के सबंध में प्रेषित किया जाने वाला **परिशिष्ट–6(1)** पर निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण–पत्र निम्नवत गठित बहु–सदस्यीय समिति द्वारा निर्गत किया जाना अनिवार्य है–

i. Chief Medical officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer..... अध्यक्ष
ii. Orthopaedic/PMR specialist
iii. Neurologist (उपलब्धता के आधार पर)
iv. Clinical Psychologist/Rehabilitation Psychologist/ Psychiatrist/ Special Educator
v. Occupational therapist. (उपलब्धता के आधार पर)
vi. समिति के अध्यक्ष द्वारा अभ्यर्थी की स्थिति के आधार पर नामित अन्य कोई सदस्य।

3. अभ्यर्थी द्वारा अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में उल्लेख करना होगा कि अभ्यर्थी द्वारा स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था की जाएगी अथवा श्रुतलेखक आयोग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।

यदि अभ्यर्थी द्वारा श्रुतलेखक की सुविधा हेतु आयोग से अनुरोध किया जाता है तो परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक अभ्यर्थी को **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण–पत्र आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा तथा श्रुतलेखक की समीक्षा/सत्यापन हेतु अभ्यर्थी को श्रुतलेखक से परीक्षा तिथि से दो दिन पर्वू मिलवाया जाएगा। उक्त स्थिति में अभ्यर्थी का परीक्षा केन्द्र प्रत्येक दशा में हरिद्वार होगा।

4. श्रुतलेखक की शैक्षिक योग्यता सबंधित परीक्षा हेतु निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक अर्हता से एक स्तर कम होगी किन्तु किसी भी दशा में हाई स्कूल से न्यून नहीं होगी।

स्वतः श्रुतलेखक की व्यवस्था किये जाने पर अभ्यर्थी को परीक्षा की तिथि से 10 दिन पूर्व तक श्रुतलेखक की 02 आवक्ष फोटो एवं 01 पहचान–पत्र के साथ **परिशिष्ट–6(2)** प्रमाण–पत्र एवं **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

5. अभ्यर्थी को अपरिहार्य परिस्थितियों में श्रुतलेखक को परिवर्तित किये जाने की सुविधा उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को विभिन्न भाषा विषय/प्रश्नपत्र में पृथक–पृथक श्रुतलेखक अनुमन्य किया जा सकता है, किंन्तु एक विषय/प्रश्नपत्र में एक से अधिक श्रुतलेखक किसी भी दशा मे ं अनुमन्य नहीं किया जाएगा।

6. अभ्यर्थी को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत **परिशिष्ट–6(1)** प्रमाण–पत्र के बिन्दु संख्या–2 में अनुमोदित ऐसे सहायक उपकरणों के प्रयोग की अनुमति होगी, जिससे परीक्षा की शुचिता प्रभावित नहीं होती हो।

7. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को 20 मिनट प्रति घण्टे का क्षतिपूर्ति समय प्रदान किया जाएगा। एक घण्टे से कम समय हेतु क्षतिपूर्ति समय 20 मिनट प्रति घण्टे के अनुपात में निर्धारित किया जाएगा जो 5 मिनट से कम नहीं होगा तथा 5 मिनट के गुणांक में होगा।

8. श्रुतलेखक हेतु अर्ह अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा केन्द्र के भू–तल पर निर्धारित परीक्षा–कक्ष में बैठने की व्यवस्था सुनिशिचित की जाएगी।

9. उक्त दिशा–निर्देश शासनादेश सख्ंया : 374(1)/XXX(2)/2019–30(5)/2014 दिनांक 20 नवम्बर, 2019 के अनुपालन में आयोग द्वारा अनुमोदित दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु श्रुतलेखक एवं अन्य सुविधा प्रदान किये जाने संबधंी मार्गदर्शिका सिद्धांत दिनांक 09 जून, 2020 से पृथक होगें।

परिशिष्ट–06 (1)

Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr./Ms./Mrs.…………………………………….(name of the candidate), s/o /D/o ……………………………..a resident of ……………………………………………………………… ………… ……………………….. (Vill/PO/PS/District/State), aged……… yrs. a person …………(nature of disability/condition), and to state that he/she with has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is/are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid unto ______ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopedic/ PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/psychiatrist/ Special Educator	Neurologist (if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson (If any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/Chief District Medical Officer…………… Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal

Place:

Date:

परिशिष्ट–06 (**2**)

Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2 (r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.

I___________________, a candidate with_____________(nature of disability/condition) appearing for the _______________(name of the examination) bearing Roll No. ____________________at________________(name of the center) in the District ___________,__________(name of the State). My educational qualification is ______________.

2. I do hereby state that___________________ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is_______________. In case subsequently it is found that his qualifications is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:

परिशिष्ट–07

शासनादेश संख्या–256 / 18–प्रा0शि0–2–88–20 / 82, दिनांक 16.07.1982 ऊँचाई की नापतौल में छूट चाहने वाले उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री / श्रीमती / कुमारी.. पुत्र / पुत्री श्री / श्रीमती..ग्राम......................तहसील / तालुका..... ....जिला...........................राज्य..के स्थायी निवासी हैं।

उपरोक्त उल्लिखित क्षेत्र के अनुसूचित जनजातियों और गोरखा, नेपाली, आसामी, लद्दाखी, सिक्कमी, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊँनी, मिजो, नागा के मूल वंश और अरूणाचल प्रदेश, लाहुल एवं स्पिति और मेघालय अभ्यर्थियों हेतु ऊँचाई की मापतौल में छूट दी गयी है।

स्थान...............................

दिनांक.............................

हस्ताक्षर

प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी
का नाम
पदनाम
पदनाम की मुहर

नोटः कृपया जो लागू हो उस पर सही (✓) का निशान लगायें।

परिशिष्ट–8

सहायक वन संरक्षक, लौगिंग अधिकारी एवं वनक्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा–2025

Check List

अभिलेख सत्यापन/साक्षात्कार के समय अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किये जाने वाले अभिलेख सम्बन्धी विवरण प्रपत्र।

अनुक्रमांक– [ ]

क्र. सं.	प्रमाण पत्रों/अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
01	ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति।	
02	विस्तृत आवेदन पत्र **(प्रपत्र संख्या–02)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
03	प्रमाणीकरण प्रपत्र **(प्रपत्र संख्या–03)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
04	देशना प्रत्रक **(प्रपत्र संख्या–04)** अभ्यर्थी द्वारा स्वयं पूर्ण रूप से भरा हुआ।	
05	हाईस्कूल प्रमाण–पत्र	
06	हाईस्कूल अंकतालिका,	
07	इण्टरमीडिएट प्रमाण–पत्र	
08	इण्टरमीडिएट अंकतालिका,	
09	स्नातक उपाधि*	
10	स्नातक अंतिम वर्ष/सेमेस्टर की अंकतालिका	
11	**अधिमानी अर्हताओं सम्बन्धी प्रमाण–पत्र। (यदि लागू हो)।**	
	(क) प्रादेशिक सेना में कम से कम 02 वर्ष सेवा की हो।	
	(ख) एन0सी0सी0 ''बी'' अथवा ''सी'' प्रमाणपत्र	
	(ग) राष्ट्रीय सेवा योजना का प्रमाण–पत्र प्राप्त किया हो।	
12	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त लम्बवत् आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (एस0सी0/एस0टी0/ओ0बी0सी0/ई0डब्लू0एस0)** (यदि लागू हो)	
13	सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रदत्त क्षैतिज आरक्षण संबंधी प्रमाण–पत्र। (उत्तराखण्ड के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित/उत्तराखण्ड महिला/उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक/उत्तराखण्ड राज्य में संचालित स्वैच्छिक या राजकीय गृहों में निवासरत अनाथ बच्चे/दिव्यांगता प्रमाण पत्र/कुशल खिलाड़ी/उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलनकारी) (यदि लागू हो)	
14	स्थायी निवास प्रमाण–पत्र (यदि लागू हो)	

क्र. सं.	प्रमाण पत्रों / अभिलेखों का विवरण	संलग्न है अथवा नहीं
15	पूर्व सैनिक आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में पूर्व सैनिक अभ्यर्थी इस आशय का शपथपत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा पूर्व सैनिक आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए है।	
16	राज्य आन्दोलनकारी आरक्षण का दावा किये जाने की स्थिति में राज्य आन्दोलनकारी अभ्यर्थी इस आशय का शपथपत्र (Affidavit) अन्य अभिलेखों के साथ अवश्य संलग्न करें, कि उनके द्वारा राज्य आन्दोलनकारी आरक्षण का लाभ लेकर पहले कभी भी सरकारी सेवा में नियोजित नहीं हुए है।	
17	जिन पूर्व सैनिकों द्वारा विज्ञप्ति संख्या A-1/FOREST (DR) /E-4/2024-25, **दिनांकः ..... जनवरी, 2025** के सापेक्ष आयु सीमा में छूट का लाभ लिया है वे आवेदित पद के संबंधित ग्रेड–पे. ....से न्यून में कार्यरत रहने संबंधी साक्ष्य के रूप में उनकी अद्यतन वेतन पर्ची (Salary Slip) अथवा संबंधी संस्था / विभाग के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत ग्रेड–पे संबंधी उल्लेख के प्रमाण–पत्र की स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति।	
18	यदि अभ्यर्थी किसी केन्द्र अथवा राज्य सरकार / लोक प्रतिष्ठान के अधीन सेवारत है तो, सेवानियोजक द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र की प्रति।	
19	यदि अभ्यर्थी के नाम / पिता के नाम में विभिन्न प्रमाणपत्रों में साम्य न हो तो उक्त के संबंध में स्वघोषणा प्रपत्र मूल रूप में।	
20	पासपोर्ट साइज के 02 नवीनतम स्वप्रमणित फोटोग्राफ एवं एक फोटोयुक्त आई0डी0।	

* यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 आयोग अंक–तालिकाओं को सम्बन्धित परीक्षा के मूल प्रमाण–पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं और केवल अंक–तालिकाओं के आधार पर आपको सम्बन्धित परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं माना जाएगा। जिन परीक्षाओं के परीक्षाफल हाल में प्रकाशित हुये हों और परीक्षा संस्था (Examining Body) ने नियमित प्रमाण–पत्र (Certificate) अथवा उपाधि (Degree) नहीं दिये हों, उनके लिए औपबन्धिक प्रमाण–पत्र (Provisional Certificate) मूल प्रमाण–पत्र के स्थान पर जमा करना होगा।

** एस0सी0 / एस0टी0 / ओ0बी0सी0 / ई0डब्लू0एस0 आरक्षण सम्बन्धित प्रमाण–पत्र विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि तक वैध होना चाहिए। शासनादेश संख्या–310 दिनांक 26.10.2016 के अनुसार ओ0बी0सी0 प्रमाण–पत्र की वैधता निर्गत होने की तिथि से 03 वर्ष की अवधि तक ही है। अतः अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उनका आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र उत्तराखण्ड राज्य की सेवाओ हेतु जारी हों।

*** आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए ई0डब्लू0एस0 प्रमाण–पत्र, आवेदन की अन्तिम तिथि तक वैध होना चाहिए।

नोट 01–अभ्यर्थी आवेदन पत्र में उल्लिखित श्रेणी जिसके सापेक्ष प्रमाण–पत्र संलग्न किया है, उस श्रेणी का क्रम संख्या–12 में तथा आवेदन–पत्र में उल्लिखित उपश्रेणी जिसके सापेक्ष प्रमाण–पत्र संलग्न किया है, उप श्रेणी का क्रम संख्या–13 के सम्मुख स्पष्ट अंकन करें।

नोट 02–अभ्यर्थी उक्तानुसार चैकलिस्ट सहित चैकलिस्ट में उल्लिखित समस्त अभिलेखों की छायाप्रति के 02 स्वप्रमाणित सेट पूर्णरूप से भरते हुए तैयार करेंगें एवं अभिलेख सत्यापन (Document verification) के समय आयोग में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

दिनांक........................

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर................

अभ्यर्थी का नाम........................